

UTTRAKHAND PUBLIC WORKS DEPARTMENT

IRRIGATION. DIVISION, P.M.G.S.Y, DEHRADUN



PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (WORLD BANK FUNDED)

FOREST PROPOSAL

PACKAGE NO	:- UT-
NAME OF DISTT	:- DEHRADUN.
NAME OF BLOCK	:- SAHASPUR.
NAME OF ROAD	:- PURKUL VILLAGE TO BHITARLI- KIMARI.
TOTAL ROAD LENGTH	:- 10.400 KM.
RESERVE FOREST	:- 2.345 HECT.
VAN PANCHAYAT LAND	:- 0.000 HECT.
CIVIL SOYAM LAND	:- 1.183 HECT.
PRIVATE LAND	:- 4.824 HECT.
TOTAL LAND FOR TRANSFER	:- (2.345+1.183) = 3.528 HECT.

EXECUTIVE AGENCY	:- PUBLIC WORK DEPARTMENT (UTTRAKHAND)
NODAL DEPARTMENT	:- RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
NODAL AGENCY	:- UTTRAKHAND RURAL ROAD DEVELOPMENT AGENCY

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की
स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन
भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने
के प्रपत्र / प्रमाण पत्र

फैक्ट सीट

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे० में)– पुरुकुल गांव से भितरली–किमाडी मोटर मार्ग

आरक्षित वन भूमि	– 2.345 हे०
वन पंचायत	– 0.000 हे०
सिविल सोयम भूमि	– 1.183 हे०
नाप भूमि	– 4.824 हे०
योग	– 8.352 हे०

2. प्रस्तावक विभाग का नाम

– पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून।

3. वन प्रभाग का नाम

– मसूरी वन प्रभाग मसूरी

4. प्रस्ताव बाइडिंग किया गया है

– हाँ/नहीं

5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है

– हाँ/नहीं

6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है।

– हाँ/नहीं

7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है।

– हाँ/नहीं

8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है।

– हाँ/नहीं

9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है।

– हाँ/नहीं

10. बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है।

– हाँ/नहीं/लागू नहीं

11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है

– हाँ/नहीं

12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है।

– हाँ/नहीं

13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है

– हाँ/नहीं

14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है

✓ – हाँ/नहीं

15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है

– हाँ/नहीं

16. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है

- ☒ नहीं

17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - ☒ हाँ/नहीं

18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है

- ☒ हाँ/नहीं

19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - ☒ हाँ/नहीं

20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)

- ☒ हाँ/नहीं

21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - ☒ हाँ/नहीं

22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दू किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है

- ☒ हाँ/नहीं

23. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - ☒ हाँ/नहीं

24. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये।

- ☒ हाँ/नहीं

25. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं

- ☒ हाँ/नहीं

26. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये) - ☒ हाँ/नहीं

27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 हे० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) - ☒ हाँ/नहीं/लागू नहीं

28. मानचित्र चार बार चार्ट में एकरूपता है - ☒ हाँ/नहीं

29. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - ☒ हाँ/नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है- ☒ हाँ/नहीं

30. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है

- ☒ हाँ/नहीं

31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई है (5)
तो क्या वे सत्यापित हैं - हाँ/नहीं

32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है
- हाँ/नहीं

33. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हाँ/नहीं

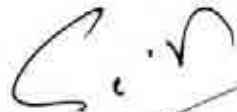
34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है
- हाँ/नहीं

35. क्या बैंक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्म शीट बैंक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनाएँ संलग्न कर दी गई है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,
देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,
देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड,
देहरादून

परियोजना का नाम	:- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	---

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बाह्यगासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक :-1370/एम०-09(11)/यूआर०आर०डी०ए०/०9 दिनांक 15 अक्टूबर उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के फेज -X के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट भितरली (CC 500200, H18, Pop-476) की आवादी अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहाँ युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनाएँ भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरक्षण में नाप भूमि 4.824 है०, सिविल सोयम भूमि 1.483 है० एवं वन पंचायत भूमि 0.000 है० एवं आरक्षित वनभूमि 2.345 है०, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरक्षणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

संरक्षण नं० 1 :- के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद देहरादून में विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत यह मार्ग पूर्व निर्मित मालसी - पुरुकुल मोटर मार्ग के कि०मी० 6.00 से प्रारम्भ होता है। तथा ल० 10.400 कि०मी० है, इस संरक्षण में 5 हेयर पिन बैंड प्रस्तावित है। इस संरक्षण में 2 आर०सी०सी० ब्रिज 12 मी० के पड़ती है। इस संरक्षण में आरक्षित भूमि के अतिरिक्त बीच-बीच में सिविल एवं नाप भूमि आती है, इस संरक्षण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष प्रभावित कम होते हैं तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस संरक्षण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांववासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

संरक्षण नं० 2 :- के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद देहरादून में विकासखण्ड रायपुर के अन्तर्गत यह मार्ग पूर्व निर्मित मालसी - पुरुकुल मोटर मार्ग के कि०मी० 5.00 से प्रारम्भ होता है। तथा ल० 11.400 कि०मी० है, तथा 18.00 मी० की 3 न० मेजर कल्वर्ट भी आती है। इस संरक्षण से स्थानीय जनता असहमत है, चूंकि संरक्षण की ल० अधिक है, इस संरक्षण में वन भूमि, नाप भूमि, सिविल भूमि की भी अधिकता है जिस कारण भी स्थानीय जनता असहमत। अतः तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है इस संरक्षण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांववासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरक्षण नं० 2 को निरस्त कर संरक्षण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरक्षणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरक्षण नं० 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 10.400 कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई तथा ल० 5040 में आने वाली सिविल सोयम एवं आरक्षित वन भूमि 3.538 है० कुल 3.538 प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिवाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिवाई देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिवाई देहरादून

क्र० सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/ प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण-पत्र	09	प्रस्तावक	प्रस्तावक
3.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1	10	प्रस्तावक	प्रस्तावक
4.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2	11-13	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
5.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-3	14	वन संरक्षक	वन संरक्षक
6.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	15-17	प्रस्तावक	-
7.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	18-31	उप-जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
8.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाणीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	32	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
9.	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	33-34	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ० / जिलाधिकारी
10.	डिजिटल मैप व सी०डी० में प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० रिडिंग के साथ दर्शाया गया।	35-36	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ० / जिलाधिकारी
11.	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	37-40	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ० / जिलाधिकारी
12.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	41	प्रस्तावक	प्रस्तावक
13.	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक संरक्षण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	-	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ० / जिलाधिकारी
14.	वैकल्पिक संरक्षण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	42-48	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
15.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	49	प्रस्तावक / जिलाधिकारी	प्रस्तावक / जिलाधिकारी / डी०एफ०ओ०
16.	प्रस्तावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	50-52	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ० / जिलाधिकारी
17.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	53	प्रस्तावक	प्रस्तावक
18.	बार चार्ट।	54-55	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
19.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	56	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
20.	प्रस्तावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार / व्यासवार विवरण।	57-60	डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
21.	प्रस्तावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।		डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
22.	वारंवारिक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	61	डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
23.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रस्तावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	-	वन संरक्षक	वन संरक्षक
24.	वृक्ष प्रस्तावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	-	डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
25.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	64	डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
26.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	65	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
27.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों को लिये)	-	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
28.	राष्ट्रीय पार्कों/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा० उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	66	प्रस्तावक	-
29.	प्रस्तावित होने वाले ग्रामों की आम समाजों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	68-69	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विश्लेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विश्लेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिकीय संतुलन का आकलन। (5.00 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	70	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	71-79	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति / ग्राम स्तरीय समिति

32.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
33.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान	—	प्रस्तावक	प्रस्तावक
34.	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	80-81	भू-वैज्ञानिक	भू-वैज्ञानिक
35.	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	82	प्रस्तावक	प्रस्तावक
36.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉरक फोर्स की संस्तुतियों मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	83	प्रस्तावक	प्रस्तावक
37.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	84	प्रस्तावक	प्रस्तावक
38.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	85	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक
39.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	86	प्रस्तावक	प्रस्तावक
40.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	87	प्रस्तावक	प्रस्तावक
43.	लागूनाचित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	88	प्रस्तावक	प्रस्तावक
44.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	89	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
45.	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (100 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	90-93	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
46.	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	94	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
47.	150,000 घनमीटर का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	95-96	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
48.	रगीन मूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	97-98	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
49.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/ दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	99-101	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
50.	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरो का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	102-108	प्रस्तावक/ भूस्वामी	भूस्वामी/ जिलाधिकारी
51.	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	109	प्रस्तावक/ भूस्वामी	भूस्वामी/ जिलाधिकारी
52.	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	110-121	प्रस्तावक/ डी0 एफ0ओ0	प्रस्तावक/ डी0 एफ0ओ0
53.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की वनराशि का आंकलन।	122-123	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
54.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई वनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	124	प्रस्तावक	प्रस्तावक
55.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा रत्तमों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	125	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
56.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	126	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
57.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	127	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
58.	जल विद्युत परियोजना हेतु कैंट प्लान (यदि लागू हो) व कैंट प्लान की वनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	—	डी0एफ0ओ0/ उच्चस्तरीय समिति	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
59.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	128	प्रस्तावक	—
60.	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	—	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फॉरमेट में उपलब्ध कराना।		प्रस्तावक	—

प्रपत्र-1

Mr. SANJAY SINHA son of Sh. R. P. Singh is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Purkul to Bhitashli MR. of the PMUSY, (agency name) on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the Rural Dept., Uttarakhand (head of the Institution name / designation).


 Signature

Name and seal of the competent

Authority

(संजय सिंह)

 अधिशारी अभियन्ता
 पी० एम० जी० एस० वाई०
 सिंचाई खण्ड, देहरादून

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव -/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

(ग) परियोजना की लागत।

(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

(ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

(च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

वन पंचायत भूमि	—	0.000
सिविल सोयम भूमि	—	1.183
आरक्षित वनभूमि	—	2.345
योग	—	3.528

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

— लागू नहीं है।

(क) परिवारों की संख्या

— —

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के

— —

(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

— —

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)

— नहीं।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक

— संलग्न है।

वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुन. वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

— संलग्न है।

दिनांक 02/06/16

स्थान

देहरादून

कनिष्ठ अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0

खण्ड सिंचाई देहरादून

सहायक अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0

खण्ड सिंचाई देहरादून

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम—

सजय सिंह

अधिसाक्षी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0

खण्ड सिंचाई देहरादून

प्रस्ताव की क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद देहरादून के सहसपुर ब्लॉक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पुरुकुलगांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (कुल लम्बाई -10.40 किमी0) के निर्माण हेतु 3.528 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेअर में)	3.528 हेक्टर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.350 है0 आरक्षित वन भूमि राजपुर कक्ष सं0-7 1.540 है0 आरक्षित वन भूमि रिखोली कक्ष सं0-8 0.455 है0 आरक्षित वन भूमि रिखोली कक्ष सं0-7 0.588 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम क्यारकुली भट्टा 0.595 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम भितरली <u>3.528 है0</u>
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.2 से 0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं)	प्रस्तावित पी0एम0जी0एस0वाई0 मोटर मार्ग के समरेखण में विभिन्न प्रजातिवार /व्यासवर्ग के कुल 316 वृक्ष वाधक हैं। उक्त सभी वृक्षों की व्यासवर्गवार गणना एवं मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के संलग्नक -18 से 30 पर चरपा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक- प्रारूप-33 पर संलग्नक-79 से 80 पर वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक की आख्या सं0 227/2173/09 चरपा की गयी है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन राजपुर कक्ष सं0-7 तथा रिखोली कक्ष सं0-7 व 8, एवं ग्राम क्यारकुली व ग्राम भितरली की सिविल सोयम भूमि की सीमा अर्न्तगत स्थित है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं। इस बावत वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रारूप -25 के संलग्न 85 पर प्रमाण पत्र चरपा किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।(यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।)	—नहीं—

प्रभागीय वन विभाग, मसूरी

(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत् प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के प्रारूप -37 के संलग्नक - 84 पर प्रमाण पत्र चरपा किया गया है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत् प्रस्तावक, राजस्व एवं वन विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रारूप -14 के संलग्नक - 63 पर प्रस्ताव में चरपा किया गया है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	- नहीं-
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 3.528 है० के बदले दुगने 7.056 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चकराता वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत मौजा खारसी सिविल सोयम भूमि का चयन /आंबटन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं गूगल मानचित्र आदि प्रस्ताव के संलग्नक प्रारूप - 42 के संलग्नक 93 से 95 एवं 97 से 98 पर चरपा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं गूगल मानचित्र, प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन आदि प्रस्ताव के संलग्नक प्रारूप - 42 के संलग्नक 93 से 95 एवं 97 से 98 पर चरपा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोषित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु० 16,25,011.00 (रु० सोलह लाख पच्चीस हजार ग्यारह मात्र) तथा प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर (आरक्षित वन भूमि-3.350 किमी० में) रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रु० 11,59,000.00 (रु० ग्यारह लाख उनसठ हजार मात्र) का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक 97 तथा 98 पर चरपा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिच्यय।	1.क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु०16,25,011.00 (रु० सोलह लाख पच्चीस हजार ग्यारह मात्र) तथा प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर (आरक्षित वन भूमि-3.350 किमी० में) रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रु० 11,59,000.00 (रु० ग्यारह लाख उनसठ हजार मात्र)।

प्रभागीय प्राधिकारी
वन विभाग, मन्सूर

(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा प्रदत्त उपयुक्तता संबंधी प्रमाण पत्र एवं खसरा खतौनी की प्रति प्रस्ताव के संलग्नक प्रारूप - 43 पर चरसा है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्नक- प्रारूप - 6 पर चरसा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि० 16-7-2016 को किया गया है, जो प्रस्ताव के संलग्नक प्रारूप - 6ए पर चरसा है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला- देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088 वर्ग कि०मी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	2116.92 वर्ग कि०मी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 108 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 255.7888 है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 184.5603 है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 393.7274 हेक्टेयर / 620.8186 है० (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:- (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1- 258.98 है० / 447.88 है० जिला / प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांक: 18-7-2016।

स्थान:- मसूरी.

नाम:- (डा० धीरज कान्हेय)
 प्रभाषीय वनाधिकारी
 मसूरी, मसूरी

परियोजना का नाम :-	जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
--------------------	--

भाग-III

- 19 क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन :-
संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख सलग्न की जाय।
- 20 क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन :-
संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।
- 21 विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए :-
वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

तिथि.....

स्थान.....

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

(40)

संख्या: 1370 / एम3-09(ii) / यू.आर.आर.डी.ए. / 09

दिनांक: 15 अक्टूबर, 2009

सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0),
उत्तराखण्ड।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-VIII के अन्तर्गत मार्गों की डी0पी0आर0 प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-VIII के अन्तर्गत रु0 500.00 करोड़ की डी0पी0आर0 ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार को दिनांक 15.11.2009 तक प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। फेज-VIII की डी0पी0आर0 प्रेषित करने के लिए आपको पूर्व में विभिन्न पत्रों एवं बैठकों के माध्यम से अवगत कराया जाता रहा है, परन्तु आतिथि तक डी0पी0आर0 प्रेषित नहीं की गयी है।

आपको पुनः अवगत कराना है कि यू0आर0आर0डी0ए0 द्वारा जारी सूची के अनुसार 500+ की बसावटों के संयोजन हेतु मार्गों की डी0पी0आर0 गठित कर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिन जनपदों में 500 से अधिक जनसंख्या वाली बसावटों हेतु डी0पी0आर0 गठित/स्वीकृत हो गयी है, वे पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानकों के अनुसार 250-499 तक की डी0पी0आर0 गठित कर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त फेज-III एवं आगामी फेज के जिन मार्गों में स्टेज-1 का कार्य माच, 2009 तक पूर्ण हो चुका है, उनकी स्टेज-II की डी0पी0आर0 तथा पूर्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित ऐसे मार्ग जो कच्चे हैं तथा पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानकों को पूर्ण करते हों, उनकी डी0पी0आर0 भी उच्चिकरण (Up-gradation) हेतु तत्काल गठित कर प्रस्तुत करें।

फेज-VIII की डी0पी0आर0 के प्रेषण में पूर्व में ही अत्यधिक विलम्ब हो चुका है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिनांक 15.11.2009 तक प्रत्येक दशा में उक्त फेज के मार्गों की डी0पी0आर0 यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि स.ता. एस0टी0ए0 (State Technical Agency), आई0आई0टी0, रुड़की से स्कूटनाईज कराकर, स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

यदि समस्त सहायक अभियन्ताओं को इस कार्य से प्रेषित कि फेज-VIII की डी0पी0आर0 गठित करने का निर्देश है।

(ओम प्रकाश)

सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गढ़वाल/कुमाऊँ क्षेत्र, पौड़ी/अल्मोड़ा।

समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

कार्यालय सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

2.2. 4037

1635

09/10/09

Om Prakash

सचिव

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।

Photocopy Attached

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंवाई खण्ड, देहरादून

Sl. No.	District	Block	Unconnected Target Habitation	Population	Name of Road			Habitations to be Connected
					From	To	Length (Km)	
1	Dehradun	Chakrata	Kharaura	498	Shilichad	Kunain	10.50	Kharaura(493), Kunain(349), Amrad Jorad(334)
2	Dehradun	Raipur	Saruna	491	Sahasradhara	Naliwala	10.00	Saruna(491), Naliwala(398), Bagradhorap(247), Karlygad(170), Bheswad Gaon(279)
3	Dehradun	Kalsi	Pajiya	484	Kotha Band	Pajiya	15.00	Pajiya(484), Kanbus(419), Sakani(313), Alsi(277), Kakari(290)
4	Dehradun	Sahaspur	Bhitwar wali	476	Kinargi	Bhitrail	4.00	Bhitwar wali(476)
5	Dehradun	Kalsi	Saradi	467	Km 10.50 of L042	Saradi Link	3.00	Saradi(467)
6	Dehradun	Kalsi	Naraya	465	Kotha Band	Ashtad	15.00	Naraya(465), Ashtad(383), Kothi(241), Dakerna(167)
7	Dehradun	Kalsi	Devou	443	Dheora	Devou	9.50	Devou(443), Neechiya(210), Jintaya(107), Bantar(155), Thoran(91)
8	Dehradun	Kalsi	Uprauli	439	Upalta	Uprauli	4.00	Uprauli(439), Rani(232), Vinau(120)
9	Dehradun	Kalsi	Kaha Nehar Punagh	431	Patiyana	Kaha Nehar Punagh	8.00	Kaha Nehar Punagh(431), Badhana(220), Thaina(207), Gadaura Sakraula(165), Khedin(88), Balanu(49)
10	Dehradun	Chakrata	Jhitad	428	Kathang Solang	Jhitad Link	2.50	Jhitad(428)
11	Dehradun	Chakrata	Khabau	423	Chakrata Lakhmandal Kwansi Dumta	Khabau	15.00	Khabau(423), Dawalu(377), Jasta(423)
12	Dehradun	Kalsi	Lorli	418	Km 11.40 of T04	Lorli	2.00	Lorli(418)
13	Dehradun	Chakrata	Indroli	417	Kharsi Link Km 5	Kandar	7.00	Indroli(417), Kandar(361)
14	Dehradun	Chakrata	Purtad	416	Kathiyan	Purtad	7.00	Purtad(416), Dhirnad(387)
15	Dehradun	Kalsi	Maneroli	415	Chakarata	Mangroli	2.00	Maneroli(415), Hoda(134)
16	Dehradun	Kalsi	Rikhar	412	Purodhi	Rikhar	3.00	Rikhar(412)
17	Dehradun	Chakrata	Banpur	411	Khatang Solang Sarau	Banpur Link	4.50	Banpur(411)
18	Dehradun	Raipur	Akhaondwali Bhilang	396	Soda Saroli	Akhaondwali Bhilang	8.00	Akhaondwali Bhilang(396)
19	Dehradun	Chakrata	Tyutad	390	Kanda Band	Kanda Tyunda	12.00	Tyutad(390), Kanda(277)
20	Dehradun	Chakrata	Rangyo	389	Chakrata Lakhmandal	Rangyo	5.50	Rangyo(389)
21	Dehradun	Doiwala	Mommadpur Bakali	384	Phanduwalla	Mommadpur Bakali	3.00	Mommadpur Bakali(384)
22	Dehradun	Kalsi	Makhi	381	Magti Pokhri	Kaknoi	12.00	Makhi(381), Bajove(328), Kaknoi(212), Mariah Khora(234), Kwawo(183), Dagura(131), Budaula(127), Kuma(146), Tiprara(146), Ratar(112)
23	Dehradun	Kalsi	Sawai	371	Km 18.00 of MDR33	Sawai	2.50	Sawai(371)
24	Dehradun	Raipur	Upper Talin	361	Dharkot	Talin	6.00	Upper Talin(361)
25	Dehradun	Kalsi	Somog	352	Parihar	Somog	2.00	Somog(352)
26	Dehradun	Chakrata	Dimich	322	Kalan Khad	Dimich	8.00	Dimich(322), Chanjoi(236)
27	Dehradun	Chakrata	Nada	317	Lakhmandal	Nada	16.00	Nada(317)
28	Dehradun	Kalsi	Birmau	317	Km 22.60 of MDR33	Birmau	2.00	Birmau(317), Banto(123)
29	Dehradun	Chakrata	Bhoot	316	Kathiyan Hajad	Bhoot	4.00	Bhoot(316)
30	Dehradun	Chakrata	Silau	296	Kota Link	Silau	4.00	Silau(296)
31	Dehradun	Kalsi	Namou	275	Km 22.60 of Mdr 33	Nagau	2.90	Namou(275)
32	Dehradun	Kalsi	Matiyava	269	Dagura	Matiyava	4.00	Matiyava(269), Chhau(195), Deha Jhashu(209)
33	Dehradun	Kalsi	Gauthan Joshi	268	Bisogi Lani	Hamrau	4.00	Gauthan Joshi(268), Hamrau(104)
34	Dehradun	Kalsi	Bisoi	266	Km 9.60 of MDR 33	Bisoi	2.50	Bisoi(266)
		Total					220.40	

फोटो कोपी
सहायक कमिश्नर
पी.एम. जे.एस.वाई.
निम्नलिखित स्थल, देहरादून

बसावर्टें जो कोर नेटवर्क में दर्शिये गये समरेखण अनुसार संयोजित नहीं हो सकती हैं व समरेखण में परिगर्तन आवश्यक है।

S. No	District	PTU	Block	Name of unconnected Habitation	Census code	Population	As per CN Road	Detail of Proposed Road for Connectivity	Approx. Length (K.m)	Other Hab. Being connected by the proposed road
								From	To	
1-	Dehradun	PMGSY, Irrigation Division, Dehradun	Sahas-pur	Bhitarli	500200	476	Kimari to Bhitarli (L02€)	Km 13.2 of SH55 to Jauhdi (L022) at Purkul Gao.	11	Nil

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कॉलम-5 में दर्शायी गई बसावट कॉलम-8 में दर्शाये गये मार्ग से संयोजित नहीं है। वास्तविक रूप में अभी भी प्रत्यक्ष संयोजित है एवं कॉलम-9 एवं 10 द्वारा दर्शाये गये मार्ग से संयोजित होगी तथा यह प्रस्तावित मार्ग ही उक्त बसावट के संयोजन हेतु समी दृष्टि से उपयुक्त है।

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिप्राप्ती अभियन्ता

जिलाधिकारी

ग्राम प्रधान

सदस्य क्षेत्र पंचायत

सदस्य जिला पंचायत

Plunder

सादर निवेदन
जयपुर प्रमुख
विभाग खण्ड सहस्रपुर,
आश्रम निवेदन

श्रीमती गोदावरी (थापा) थापली
सदस्या, जिला पंचायत एवं
जिला वियोजन समिति, देहरादून
मो० ९४१२९८८००५

सदस्य विधान सभा

photo copy attached

सहायक अभियन्ता
पी. एम. जी. एस. वाई.
सिंगाई खण्ड, देहरादून

डा० सांसद

संस्कृतिय क्षेत्र-टिहरी गढ़वाल (प)

TEHRIC RHWAL (U.K.)
L. 3 (BHA)

(MADHU CHAUHAN)
Chairman
Zila Panchayat
Dehradun (U.K.)

DEJSDUE

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 5-5-2015 को सिंचाई खण्ड सिंचाई पी०एम०जी०एस०वाई० देहरादून (एजेन्सी का नाम) के द्वारा पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बलवीर सिंह रावत, सुरेश कुमार एवं राजरव विभाग की ओर से श्री हरि अवतार, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री अनन्त राम उनियाल तथा स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनों के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 5360 (मी०) नाप भूमि से, 1690 (मी०) सिविल भूमि से, शून्य (मी०) वन पंचायत से, 3350 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 4.824 हे०, नाप भूमि, 1.183 हे०, सिविल भूमि, शून्य हे०, वन पंचायत, 2.345 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.528 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 316 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस वन भूमि हस्तान्तरण के तुलना में जो वैकल्पिक वन भूमि हस्तान्तरण देखे गये उसमें 5660 (मी०) नाप भूमि से, 1690 (मी०) सिविल भूमि से, 000 (मी०) वन पंचायत से, 3650 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 5.094 हे० नाप भूमि 3.528 हे० सिविल भूमि 0.000 हे० वन पंचायत भूमि 2.555 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.738 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 350 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 30°24'36.61"N, 78°3'53.99"E है तथा अन्तिम स्थल जिसका GPS मान 30°25'25.39"N, 78°2'25.14"E है। चुने गये समरेखन/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान सन्तुल्य हैं।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है/नहीं है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा/नहीं होगा।

इस समरेखन पर निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु, कृषकों की भूमि पर खड़ साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाकर उत्सर्जित मलवे का निस्तारण किया जायेगा जो स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान

30°25'2.71"N	78°3'56.11"E	30°25'14.41"N	78°3'40.62"E	30°25'24.12"N	78°3'45.09"E	30°25'34.97"N	78°3'56.79"E	30°25'34.29"N	78°3'39.73"E	30°25'30.24"N	78°3'30.22"E	30°25'24.48"N	78°3'20.99"E	30°25'41.49"N	78°2'54.86"E	30°25'46.20"N	78°2'43.36"E	30°25'44.06"N	78°2'32.00"E	30°25'36.84"N	78°2'33.04"E	30°25'29.33"N	78°2'32.41"E	30°25'25.05"N	78°2'28.64"E
--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

हस्ताक्षर

सहायक अभियंता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड, देहरादून

हस्ताक्षर

वि.सं.सिंचाई विभाग
प्रतिनिधि
मसूरी वन प्रभाग

हस्ताक्षर

(राजरव विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर

(जन प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि

वहसीलदार (सदर)

देहरादून

वन पंचायत वन क्षेत्राधिकारी

मसूरी वन प्रभाग

प्रमुख

देहरादून

उप प्रभागीय वनाधिकारी

देहरादून मसूरी वन प्रभाग

मसूरी

पुरकुल गॉव से किमाडी तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग के कि०मी० संख्या 10 से 8 तक 7 मी० चौड़ाई में बाधक वृक्षों की गणना सूची।

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी का पत्रांक 3253/12, दिनांक 20-12-2014 के अनुपालन में वृक्षों की गणना की गई

गणना की अवधि- 04-05-2015 से 05-05-2015 तक

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग	क्षेत्र का नाम
1	बकैन	30-40	रिखोली क०स०-7
2	चीड़	20-30	रिखोली क०स०-7
3	चीड़	20-30	रिखोली क०स०-7
4	चीड़	20-30	रिखोली क०स०-7
5	तुन	40-50	रिखोली क०स०-7
6	ईमली	30-40	रिखोली क०स०-7
7	सेमल	30-40	रिखोली क०स०-7
8	सेमल	30-40	रिखोली क०स०-7
9	अमल तास	10-20	रिखोली क०स०-7
10	ऑबला	20-30	रिखोली क०स०-7
11	ऑबला	40-50	रिखोली क०स०-7
12	ऑबला	20-30	रिखोली क०स०-7
13	छिंगना	20-30	रिखोली क०स०-7
14	छिंगना	30-40	रिखोली क०स०-7
15	छिंगना	20-30	रिखोली क०स०-7
16	छिरनाई	20-30	रिखोली क०स०-7
17	छिरनाई	20-30	रिखोली क०स०-7
18	गेन्ती	30-40	रिखोली क०स०-7
19	छिरनाई	20-30	रिखोली क०स०-7
20	छिरनाई	10-20	रिखोली क०स०-7
21	छिरनाई	30-40	रिखोली क०स०-7
22	छिरनाई	30-40	रिखोली क०स०-7
23	छिरनाई	20-30	रिखोली क०स०-7
24	सेमल	50-60	रिखोली क०स०-7
25	छिरनाई	30-40	रिखोली क०स०-7
26	छिरनाई	10-20	रिखोली क०स०-7
27	तुन	20-30	रिखोली क०स०-7
28	तुन	30-40	रिखोली क०स०-7
29	छिरनाई	20-30	रिखोली क०स०-7
30	तिलफारा	20-30	रिखोली क०स०-7
31	तिलफारा	20-30	रिखोली क०स०-7
32	तिमला	30-40	रिखोली क०स०-7
33	खडीक	10-20	रिखोली क०स०-7
34	खडीक	20-30	रिखोली क०स०-7
35	तिमला	20-30	रिखोली क०स०-7
36	तिमला	20-30	रिखोली क०स०-7
37	तुन	10-20	रिखोली क०स०-7
38	तुन	50-60	रिखोली क०स०-7
39	गेन्ती	40-50	रिखोली क०स०-7
40	खडीक	30-40	रिखोली क०स०-7
41	कामिल	20-30	रिखोली क०स०-7
42	तिमला	20-30	रिखोली क०स०-7

वन अधीक्षक

मसूरी रेंज

महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र राज्य
महाराष्ट्र राज्य

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग	क्षेत्र का नाम
49	बहेड़ा	30-40	रिखोली क०सं०-8
50	सेमल	20-30	रिखोली क०सं०-8
51	बहेड़ा	30-40	रिखोली क०सं०-8
52	झिंगन	20-30	रिखोली क०सं०-8
53	मन्दार	30-40	रिखोली क०सं०-8
54	झिंगन	30-40	रिखोली क०सं०-8
55	बहेड़ा	30-40	रिखोली क०सं०-8
56	बहेड़ा	30-40	रिखोली क०सं०-8
57	बहेड़ा	20-30	रिखोली क०सं०-8
58	झिंगन	10-20	रिखोली क०सं०-8
59	गौन्ता	10-20	रिखोली क०सं०-8
60	बहेड़ा	20-30	रिखोली क०सं०-8
61	बहेड़ा	20-30	रिखोली क०सं०-8
62	छिरनाई	10-20	रिखोली क०सं०-8
63	छिरनाई	10-20	रिखोली क०सं०-8
64	बहेड़ा	80-90	रिखोली क०सं०-8
65	छिरनाई	10-20	रिखोली क०सं०-8
66	छिरनाई	10-20	रिखोली क०सं०-8
67	झिंगन	20-30	रिखोली क०सं०-8
68	सेमल	20-30	रिखोली क०सं०-8
69	जामुन	10-20	रिखोली क०सं०-8
70	मन्दार	10-20	रिखोली क०सं०-8
71	सेमल	10-20	रिखोली क०सं०-8
72	सेमल	20-30	रिखोली क०सं०-8
73	बहेड़ा	20-30	रिखोली क०सं०-8
74	तिलफारा	10-20	रिखोली क०सं०-8
75	बहेड़ा	10-20	रिखोली क०सं०-8
76	बहेड़ा	10-20	रिखोली क०सं०-8
77	तिलफारा	10-20	रिखोली क०सं०-8
78	छिरनाई	20.3	रिखोली क०सं०-8
79	सेमल	30-40	रिखोली क०सं०-8
80	तिलफारा	10-20	रिखोली क०सं०-8
81	तिलफारा	10-20	रिखोली क०सं०-8
82	कुरी	10-20	रिखोली क०सं०-8
83	आम	90-<	रिखोली क०सं०-8
84	बहेड़ा	30-40	रिखोली क०सं०-8
85	बहेड़ा	30-40	रिखोली क०सं०-8
86	बहेड़ा	20-30	रिखोली क०सं०-8
87	छिरनाई	30-40	रिखोली क०सं०-8
88	छिरनाई	30-40	रिखोली क०सं०-8
89	भीमल	40-50	रिखोली क०सं०-8
90	अमलतास	20-30	रिखोली क०सं०-8
91	भीमल	20-30	रिखोली क०सं०-8
92	आम	80-90	रिखोली क०सं०-8
93	बहेड़ा	30-40	रिखोली क०सं०-8
94	बहेड़ा	30-40	रिखोली क०सं०-8
95	सेमल	40-50	रिखोली क०सं०-8
96	सेमल	30-40	रिखोली क०सं०-8

न. नि. अधिकारी
मसूरी रेंज
न्यासी वन प्रभाग

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग	क्षेत्र का नाम
97	बहेड़ा	20-30	रिखोली क०स०-8
98	बहेड़ा	10-20	रिखोली क०स०-8
99	सेमल	20-30	रिखोली क०स०-8
100	झिंगन	10-20	रिखोली क०स०-8
101	झिंगन	10-20	रिखोली क०स०-8
102	गेन्दी	30-40	रिखोली क०स०-8
103	गेन्दी	30-40	रिखोली क०स०-8
104	झिंगन	20-30	रिखोली क०स०-8
105	झिंगन	20-30	रिखोली क०स०-8
106	झिंगन	30-40	रिखोली क०स०-8
107	झिंगन	40-50	रिखोली क०स०-8
108	गौन्ता	20-30	रिखोली क०स०-8
109	गौन्ता	10-20	रिखोली क०स०-8
110	झिंगन	10-20	रिखोली क०स०-8
111	झिंगन	10-20	रिखोली क०स०-8
112	झिंगन	20-30	रिखोली क०स०-8
113	झिंगन	20-30	रिखोली क०स०-8
114	झिंगन	20-30	रिखोली क०स०-8
115	झिंगन	20-30	रिखोली क०स०-8
116	झिंगन	10-20	रिखोली क०स०-8
	नापखेत-		
1	सेमल	20-30	बड़ी भितरली नाप भूमि
2	भीमल	20-30	बड़ी भितरली नाप भूमि
3	भीमल	30-40	बड़ी भितरली नाप भूमि
4	झिंगन	30-40	बड़ी भितरली नाप भूमि
5	भीमल	10-20	बड़ी भितरली नाप भूमि
6	झिंगन	20-30	बड़ी भितरली नाप भूमि
7	बहेड़ा	30-40	बड़ी भितरली नाप भूमि
8	पीपल	30-40	बड़ी भितरली नाप भूमि
9	भीमल	10-20	बड़ी भितरली नाप भूमि
10	अकेशिया	10-20	बड़ी भितरली नाप भूमि
11	भीमल	10-20	बड़ी भितरली नाप भूमि
12	गौन्ता	10-20	बड़ी भितरली नाप भूमि
13	अकेशिया	10-20	बड़ी भितरली नाप भूमि
14	भीमल	10-20	बड़ी भितरली नाप भूमि
15	भीमल	10-20	बड़ी भितरली नाप भूमि
16	भीमल	20-30	बड़ी भितरली नाप भूमि
17	छिरनाई	10-20	बड़ी भितरली नाप भूमि
18	छिरनाई	30-40	बड़ी भितरली नाप भूमि
19	भीमल	20-30	बड़ी भितरली नाप भूमि
20	भीमल	30-40	छोटी भितरली नाप भूमि
21	खडिक	10-20	छोटी भितरली नाप भूमि
22	भीमल	30-40	छोटी भितरली नाप भूमि
23	बकार	20-30	छोटी भितरली नाप भूमि
24	आम	80-90	छोटी भितरली नाप भूमि
25	अमरुद	10-20	छोटी भितरली नाप भूमि
26	भीमल	30-40	छोटी भितरली नाप भूमि
27	जामुन	20-30	छोटी भितरली नाप भूमि

वन अधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग	क्षेत्र का नाम
28	भीमल	10-20	छोटी भितरली नाप भूमि
29	भीमल	10-20	छोटी भितरली नाप भूमि
30	सेमल	40-50	कल्लियाना नाप भूमि
31	सेमल	50-60	कल्लियाना नाप भूमि
32	सेमल	40-50	कल्लियाना नाप भूमि
33	सेमल	40-50	कल्लियाना नाप भूमि
34	सेमल	50-60	कल्लियाना नाप भूमि
	बालोंगज बीट		
1	सेमल	10-20	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
2	सेमल	0-10	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
3	सेमल	10-20	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
4	सेमल	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
5	झिंगन	10-20	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
6	झिंगन	10-20	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
7	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
8	सेमल	10-20	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
9	झिंगन	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
10	झिंगन	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
11	सेमल	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
12	मन्दार	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
13	झिंगन	10-20	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
14	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
15	मन्दार	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
16	गौन्ता	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
17	सेमल	10-20	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
18	सेमल	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
19	मन्दार	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
20	सेमल	10-20	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
21	बहेडा	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
22	मन्दार	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
23	बहेडा	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
24	सेमल	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
25	झिंगन	10-20	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
26	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
27	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
28	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
29	मन्दार	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
30	झिंगन	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
31	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
32	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
33	सेमल	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
34	सेमल	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
35	सेमल	10-20	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
36	सेमल	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
37	बहेडा	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
38	छिरनाई	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
39	छिरनाई	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
40	झिंगन	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि

वन विभाग
मुख्य सचिव
नकरी वन प्रभाग

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग	क्षेत्र का नाम
41	झिंगन	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
42	झिंगन	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
43	झिंगन	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
44	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
45	झिंगन	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
46	सोमल	50-60	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
47	बकार	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
48	झिंगन	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
49	झिंगन	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
50	सोमल	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
51	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
52	झिंगन	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
53	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
54	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
55	गेन्डी	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
56	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
57	झिंगन	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
58	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
59	गोन्ता	10-20	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
60	झिंगन	10-20	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
61	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
62	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
63	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
64	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
65	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
66	झिंगन	10-20	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
67	सोमल	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
68	बहेड़ा	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
69	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
70	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
71	झिंगन	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
72	सोमल	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
73	सोमल	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
74	सोमल	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
75	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
76	बहेड़ा	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
77	बहेड़ा	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
78	तिलफारा	10-20	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
79	तिलफारा	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
80	झिंगन	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
81	बहेड़ा	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
82	बहेड़ा	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
83	बहेड़ा	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
84	बहेड़ा	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
85	बहेड़ा	40-50	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
86	बहेड़ा	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
87	बहेड़ा	30-40	भट्टा इस्टेट निजी भूमि
88	बहेड़ा	20-30	भट्टा इस्टेट निजी भूमि

न. क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
बकारी वन प्रभाग

मसूरी रेंज
बकारी वन प्रभाग

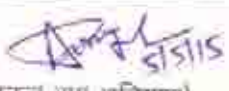
मसूरी रेंज
बकारी वन प्रभाग

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग	क्षेत्र का नाम
89	बहेडा	20-30	भटटा इस्टेट निजी भूमि
90	बहेडा	30-40	भटटा इस्टेट निजी भूमि
91	बहेडा	40-50	भटटा इस्टेट निजी भूमि
92	झिंगन	30-40	भटटा इस्टेट निजी भूमि
93	बहेडा	40-50	भटटा इस्टेट निजी भूमि
94	मन्दार	20-30	भटटा इस्टेट निजी भूमि
95	बहेडा	30-40	भटटा इस्टेट निजी भूमि
96	बहेडा	40-50	भटटा इस्टेट निजी भूमि
97	तिलफारा	10-20	भटटा इस्टेट निजी भूमि
98	तिलफारा	10-20	भटटा इस्टेट निजी भूमि
99	झिंगन	20-30	भटटा इस्टेट निजी भूमि
100	झिंगन	20-30	भटटा इस्टेट निजी भूमि
101	झिंगन	20-30	भटटा इस्टेट निजी भूमि
102	झिंगन	30-40	भटटा इस्टेट निजी भूमि
103	झिंगन	30-40	भटटा इस्टेट निजी भूमि
104	सोमल	30-40	भटटा इस्टेट निजी भूमि
105	बहेडा	30-40	भटटा इस्टेट निजी भूमि
106	झिंगन	30-40	भटटा इस्टेट निजी भूमि
107	बहेडा	30-40	भटटा इस्टेट निजी भूमि
108	झिंगन	20-30	भटटा इस्टेट निजी भूमि
109	सोमल	20-30	भटटा इस्टेट निजी भूमि
110	झिंगन	10-20	भटटा इस्टेट निजी भूमि
111	आंवला	20-30	भटटा इस्टेट निजी भूमि
112	मन्दार	40-50	भटटा इस्टेट निजी भूमि
113	झिंगन	20-30	भटटा इस्टेट निजी भूमि
114	तिलफारा	10-20	भटटा इस्टेट निजी भूमि
115	तिलफारा	0-10	भटटा इस्टेट निजी भूमि
116	झिंगन	20-30	भटटा इस्टेट निजी भूमि
117	झिंगन	30-40	भटटा इस्टेट निजी भूमि
118	झिंगन	10-20	भटटा इस्टेट निजी भूमि
119	सोमल	40-50	भटटा इस्टेट निजी भूमि
120	झिंगन	30-40	भटटा इस्टेट निजी भूमि
121	मन्दार	40-50	भटटा इस्टेट निजी भूमि
122	छिरनाई	30-40	भटटा इस्टेट निजी भूमि
123	झिंगन	30-40	भटटा इस्टेट निजी भूमि
124	झिंगन	30-40	भटटा इस्टेट निजी भूमि


(बलबीर सिंह रावत)
वन दरोगा,
मसूरी रेंज, मसूरी।
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून, मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

(ज्ञान सिंह पुण्डीर)
उप राज्य निरीक्षक
सदर तहसील, देहरादून।


(अनन्त राम उनियाल)
सहायक अभियन्ता
पीएमजीओएचआई
सिंचाई खण्ड, देहरादून।


(होशियार सिंह पुण्डीर)
वन दरोगा,
मसूरी रेंज, मसूरी।


(सुरेश कुमार)
वन बीट अधिकारी
रिखौली बीट, मसूरी रेंज।


(हरि अवस्थी)
उप राज्य निरीक्षक
सदर तहसील, देहरादून।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

रिखोली क0स0-8 में बाधित वृक्षों की कीमत की सूची

प्रजाति	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर प्र0वृक्ष	धनराशि
छिरमई	10-20	8	108	864.00
	20-30	6	252	1512.00
	30-40	6	348	2088.00
कामिला	10-20	1	108	108.00
	20-30	1	252	252.00
तिलकाड़ा	10-20	4	108	432.00
	20-30	3	252	756.00
लुन	10-20	1	270	270.00
गेंटी	20-30	2	250	500.00
	30-40	2	348	696.00
आम	30-40	1	3320	3320.00
	80-90	1	20150	20150.00
	90 over	1	20150	20150.00
झींगन	10-20	6	150	900.00
	20-30	11	750	8250.00
	30-40	5	1250	6250.00
	40-50	2	2500	5000.00
वाकली	30-40	1	3375	3375.00
तिमला	20-30	1	210	210.00
	30-40	1	290	290.00
पीपल	40-50	1	940	940.00
जामुन	10-20	1	180	180.00
	20-30	1	1160	1160.00
सेमल	10-20	1	734	734.00
	20-30	6	1526	9156.00
	30-40	3	2603	7809.00
	40-50	1	4199	4199.00
सादेण	10-20	1	90	90.00
	20-30	1	210	210.00
	30-40	4	290	1160.00
	40-50	1	510	510.00
अमलतारा	10-20	1	144	144.00
	20-30	1	180	180.00
बहेडा	10-20	3	90	270.00
	20-30	8	175	1400.00
	30-40	9	591	5319.00
	40-50	2	1192	2384.00
	80-90	1	4813	4813.00
गौता	10-20	3	108	324.00
	20-30	1	252	252.00
मन्दार	10-20	1	108	108.00
कूरी	10-20	1	108	108.00
कुल योग		116		116823.00

(बलबीर सिंह रावत)
प्रभागीय वनाधिकारी
मरूरी वन प्रभाग, मरूरी रेंज, मरूरी।

(होशियार सिंह पुण्डरी)
वन दरोगा,
मरूरी रेंज, मरूरी।

वन सहायक अधिकारी
मरूरी रेंज
मरूरी वन प्रभाग

(सुरेश कुमार)
वन घोट अधिकारी
रिखोली बीट, मरूरी रेंज, मरूरी।
प्रभागीय वनाधिकारी
मरूरी वन प्रभाग, मरूरी।

रिखोली क0सं0-7 में बाधित वृक्षों की कीमत की सूची

प्रजाति	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर प्र0वृक्ष	घनराशि
बकैन	30-40	1	348	348.00
चीड़	20-30	3	288	864.00
तुल	10-20	1	270	270.00
	20-30	1	648	648.00
	30-40	1	1464	1464.00
	40-50	1	2808	2808.00
	50-60	1	4116	4116.00
ईमली	30-40	1	348	348.00
सेमल	30-40	2	2603	5206.00
	50-60	1	5280	5280.00
अमलतास	10-20	1	144	144.00
आंवला	20-30	2	252	504.00
	40-50	1	612	612.00
झोंगन	20-30	2	750	1500.00
	30-40	1	1250	1250.00
छिरनई	10-20	2	108	216.00
	20-30	5	252	1260.00
	30-40	3	348	1044.00
गेंडी	30-40	1	348	348.00
	40-50	1	612	612.00
तिलफाड़ा	20-30	2	252	504.00
तिमला	20-30	3	250	750.00
	30-40	1	348	348.00
खडिंक	10-20	1	108	108.00
	20-30	1	252	252.00
	30-40	1	348	348.00
कामिला	20-30	1	250	250.00
कुल योग		42		31402.00


(बलबीर सिंह रोवत)
वन दरोगा,
मसूरी रेंज, मसूरी।


(होशियार सिंह पुण्डौर)
वन दरोगा,
मसूरी रेंज, मसूरी।


(सुरेश कुमार)
वन बीट अधिकारी
रिखोली बीट, मसूरी रेंज।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

भितरली नाप खेत में बाधित वृक्षों की कीमत की सूची

प्रजाति	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर प्र0वृक्ष	धनराशि
सेमल	20-30	1	1526	1526.00
	40-50	3	4199	12597.00
	50-60	2	5280	10560.00
भीमल	10-20	7	144	1008.00
	20-30	3	180	540.00
	30-40	4	234	936.00
बहेड़ा	30-40	1	591	591.00
झींगन	20-30	1	750	750.00
	30-40	1	1250	1250.00
छिरन्ई	10-20	1	108	108.00
	30-40	1	348	348.00
पीपल	30-40	1	3320	3320.00
खडिंक	10-20	1	108	108.00
जामुन	20-30	1	1160	1160.00
अकेशिया	10-20	2	108	216.00
अमरुद	10-20	1	108	108.00
आम	80-90	1	20150	20150.00
बकुर	20-30	1	252	252.00
गौता	10-20	1	108	108.00
कुल योग		34	39924	55636.00

(बलधर सिंह रावत)
वन दरोगा,
मसूरी रेंज, मसूरी।

(होशियार सिंह पुण्डीर)
वन दरोगा,
मसूरी रेंज, मसूरी।

(सुरेश कुमार)
वन बीट अधिकारी
रिखोली बीट, मसूरी रेंज।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून, मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन बीट अधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

भट्टा इस्टेट निजी भूमि

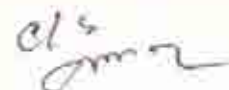
प्रजाति	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर प्रवृक्ष	घनराशि
बकार	20-30	1	252	252.00
बहेडा	20-30	5	175	875.00
	30-40	10	591	5910.00
	40-50	7	1192	8344.00
मन्दारा	20-30	3	252	756.00
	30-40	2	348	696.00
	40-50	3	612	1836.00
झिंगन	10-20	8	150	1200.00
	20-30	28	750	21000.00
	30-40	15	1250	18750.00
	40-50	6	2500	15000.00
छिरनाई	20-30	1	252	252.00
	30-40	2	348	696.00
तिलफादा	0-10	1	108	108.00
	10-20	4	108	432.00
	20-30	1	252	252.00
सेमल	0-10	1	228	228.00
	10-20	6	734	4404.00
	20-30	4	1526	6104.00
	30-40	4	2603	10412.00
	40-50	7	4199	29393.00
	50-60	1	5280	5280.00
	20-30	1	252	252.00
आंवला	20-30	1	252	252.00
गौता	10-20	1	108	108.00
	20-30	1	252	252.00
गेंडी	20-30	1	252	252.00
कुल योग		124		133044.00

कुल योग—	316	336905.00
----------	-----	-----------


(बलबीर सिंह रावत)
वन दरोगा,
मसूरी रेंज, मसूरी।


(होशियार सिंह पुण्डरीर)
वन दरोगा,
मसूरी रेंज, मसूरी।


(सुरेश कुमार)
वन बीट अधिकारी
रिखोली बीट, मसूरी रेंज।


उप प्रभाजीय वनाधिकारी
देहरादून, मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


प्रभाजीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

पुरुकुल गांव से किमाडी प्लॉट तक प्रस्तावित मोटर मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों की गणना का गोश्वारा।

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी का पत्रांक 3253/12, दिनांक 20-12-2014 के अनुपालन में वृक्षों की गणना की गई

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-<	
1	रिखोली क०स०-8	छिरनई	0	8	6	6	0	0	0	0	0	0	20
		कामिला	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		तिलफारा	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	7
		तुन	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		गेंटी	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4
		आम	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3
		झींगन	0	6	11	5	2	0	0	0	0	0	24
		धकली	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		तिमला	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
		पीपल	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		जामुन	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		सेमल	0	1	6	3	1	0	0	0	0	0	11
		सादल	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	7
		अमलतास	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		बहेडा	0	3	8	9	2	0	0	0	1	0	23
		गोता	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
		मंदार	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		कुरी	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		योग	0	32	42	32	7	0	0	0	2	1	116
2	रिखोली क०स०-7	बकन	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		चीड़	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
		तुन	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5
		झमली	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		सेमल	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3
		अमलतास	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		आपल	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
		झींगन	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3
		छिरनई	0	2	5	3	0	0	0	0	0	0	10
		गेंटी	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
		तिलफारा	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		तिमला	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4
		खड़क	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
		कामिला	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		योग	0	5	20	12	3	2	0	0	0	0	42
3	भितरली कलियाना नाथ क्षेत्र	सेमला	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	6
		पीपल	0	7	3	4	0	0	0	0	0	0	14
		बहेडा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		झींगन	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
		छिरनई	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2

		पीपल	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		खड्डिक	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		जामुन	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		अकेशिया	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		अमरुद	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		आम	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		बकुर	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		गीता	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		योग	0	13	7	8	3	2	0	0	1	34
4	मट्टा इस्टेट निजी भूमि	बकुर	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		बहेडा	0	0	5	10	7	0	0	0	0	22
		सदार	0	0	3	2	3	0	0	0	0	8
		झिगन	0	8	28	15	6	0	0	0	0	57
		फिरनई	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3
		तिलफारा	1	4	1	0	0	0	0	0	0	6
		सेमल	1	6	4	4	7	1	0	0	0	23
		आवला	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		गीता	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
		गंटी	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		योग	2	19	46	33	23	1	0	0	0	124
		कुल योग	2	69	115	85	36	5	0	0	3	316


(बलबीर सिंह रायत)
वन दरोगा
मसूरी रेंज, मसूरी।


(होशियार सिंह पुण्डरीर)
वन दरोगा,
मसूरी रेंज, मसूरी।


(सुरेश कुमार)
वन बीट अधिकारी
रिखोली बीट, मसूरी रेंज।


(अनन्त राम लनियाल)
सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंवाई खण्ड, देहरादून।


(जगन सिंह पुण्डरीर)
उप राजस्व निरीक्षक
सदर तहसील, देहरादून।


(हरि अवतार)
उप राजस्व निरीक्षक
सदर तहसील, देहरादून।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

प्रपत्र-७

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, P.M.G.S.Y, Irrigation Division, Dehradun for "Construction of Purkal gaon to Bitarli - Kimari Motor Road (Proposed Length- 10.40 K.M)" under FCA-1980 of 3.528 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of, "Construction of Purkal gaon to Bitarli - Kimari Motor Road (Proposed Length- 10.40 K.M)". The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 16 - 07- 2016.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Reserve Forest + Private Forest + Civil Forest (RF 2.345 ha. + PF 0.00 ha.+CF 1.183 ha.) = 3.528 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

No rare/endangered/unique species of flora and fauna is found in the area.

No protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area.

- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- b) AS such, recommendation is being provided.

Prposal is Recommended.

(Signature)

Name (Dr. Dheeraj Pandey)

Designation. हजारी बन अधिकारी
असुरी वन प्रभाग, असुरी

Office Seal

Place - Mussoorie

Date - 16.7.2016

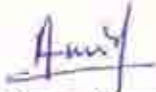
N.B x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 ha. of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 ha. of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र

प्रस्तावित परियोजना को सर्वे आफ इण्डिया 1:50,000 के पैमाने की टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से, सिविल वन भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से, नाप भूमि को नीले रंग से अन्य रंग से, प्रस्तावित समरेखण को लाल रंग से एवं वैकल्पिक समरेखणों को अन्य रंग से दर्शाया गया है।

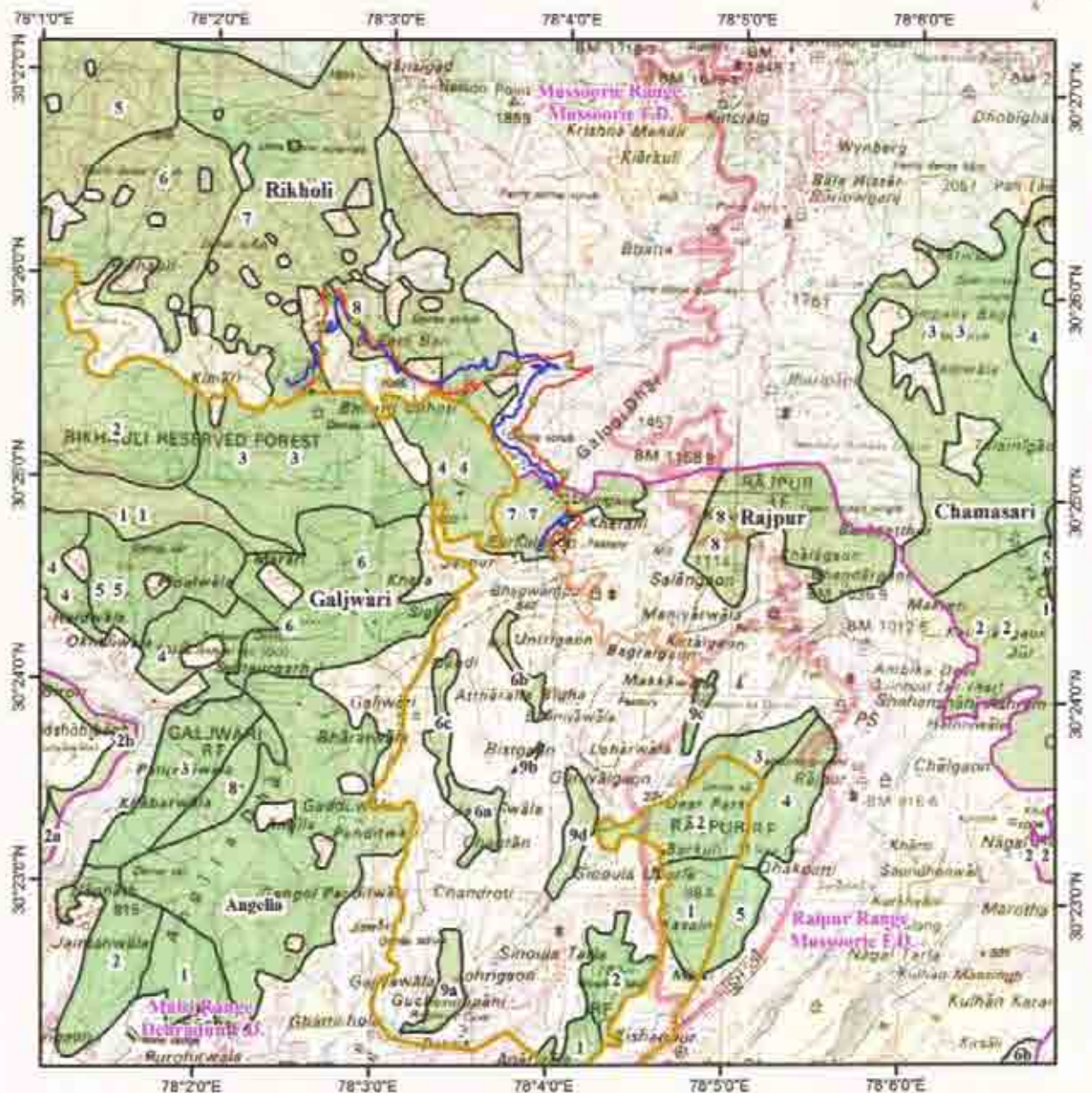

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


अधिशूची अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून

डिजिटल मैप - जनपद देहरादून में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 10.400 कि०मी०)

0 0.5 1 1.5Km



Legend

- Muck Dumping Zone
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

जनकेश कुमार

खसीलदार (सदर)
देहरादून

अधिशारी अभियन्ता
पी. एम. जी. एस. वाई.
सिंचाई खण्ड, देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग

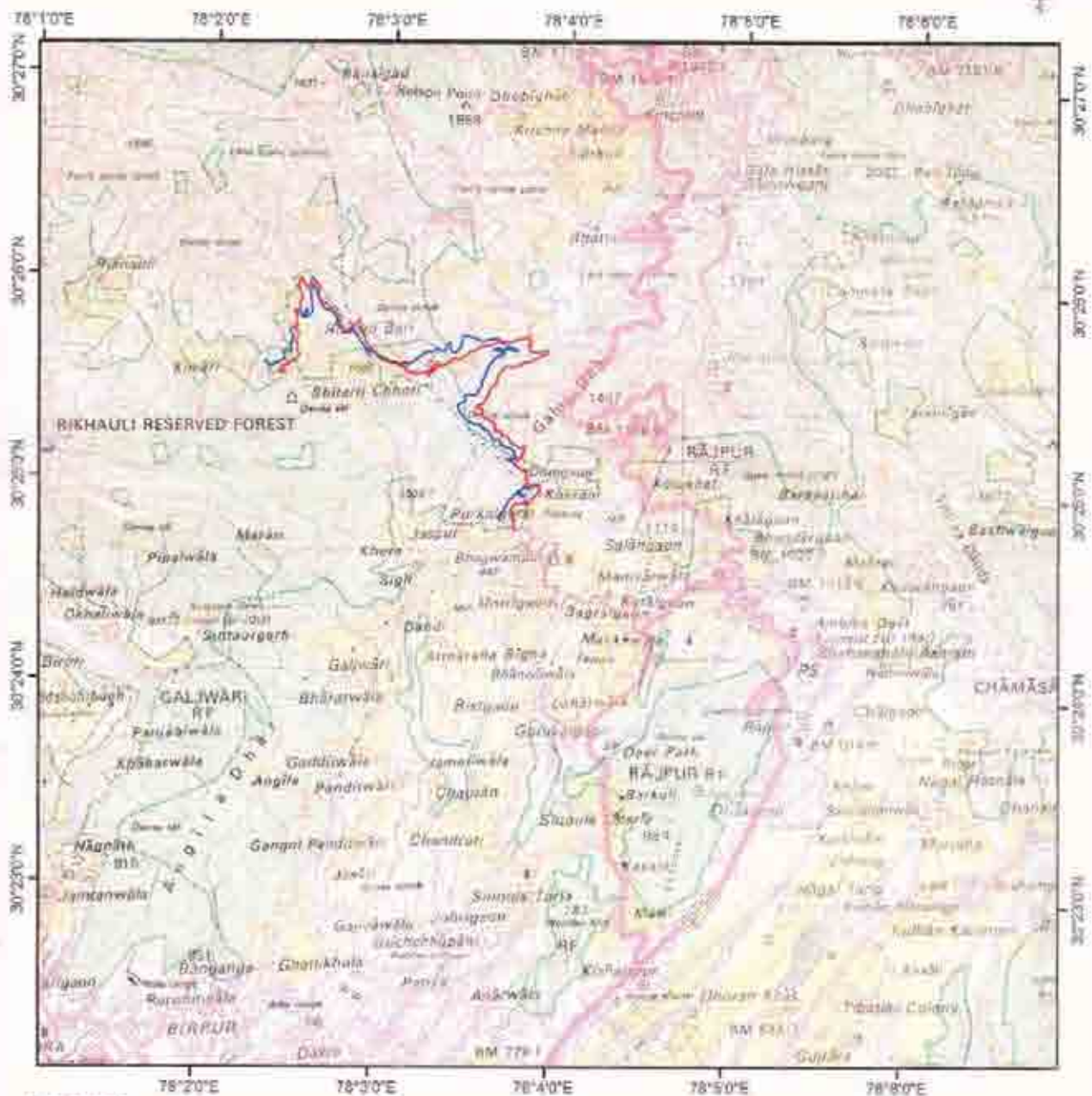
परमना मजिस्ट्रेट (सदर)
देहरादून

प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र

Topo Sheet

डिजिटल मैप - जनपद देहरादून में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 10.400 कि०मी०)

0 0.5 1 1.5Km



Legend

- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road

Handwritten signature
JE

Handwritten signature
District Magistrate

अधीक्षक (तवर)
देहरादून

Handwritten signature
AE

अधीक्षक अभियन्ता
पी. एन. जी. एस. वाई
सिंचाई खाण्ड, देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

Handwritten signature
जगदीश कुमार

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग

Handwritten signature
30/10/20

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

ब्रह्मचारी वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Handwritten signature
22/11/20
रायपुर रेंज
देहरादून

प्रपत्र-9

डिजिटल मैप व सीडी।

Google Map

डिजिटल मैप :- जनपद देहरादून में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित पुरुकुल गांव से मितरली-किमाडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई - 10.40 कि०मी०)



Legend

- Muck Dumping Zone
- Proposed Road
- Alternate Road

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

Amrinder

Amrinder

Amrinder

अतिशायी अभियन्ता

Amrinder

पौ. एम. जी. एस. वाई.
सिवाई अण्ड, देहरादून क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज, मसूरी वन प्रभाग

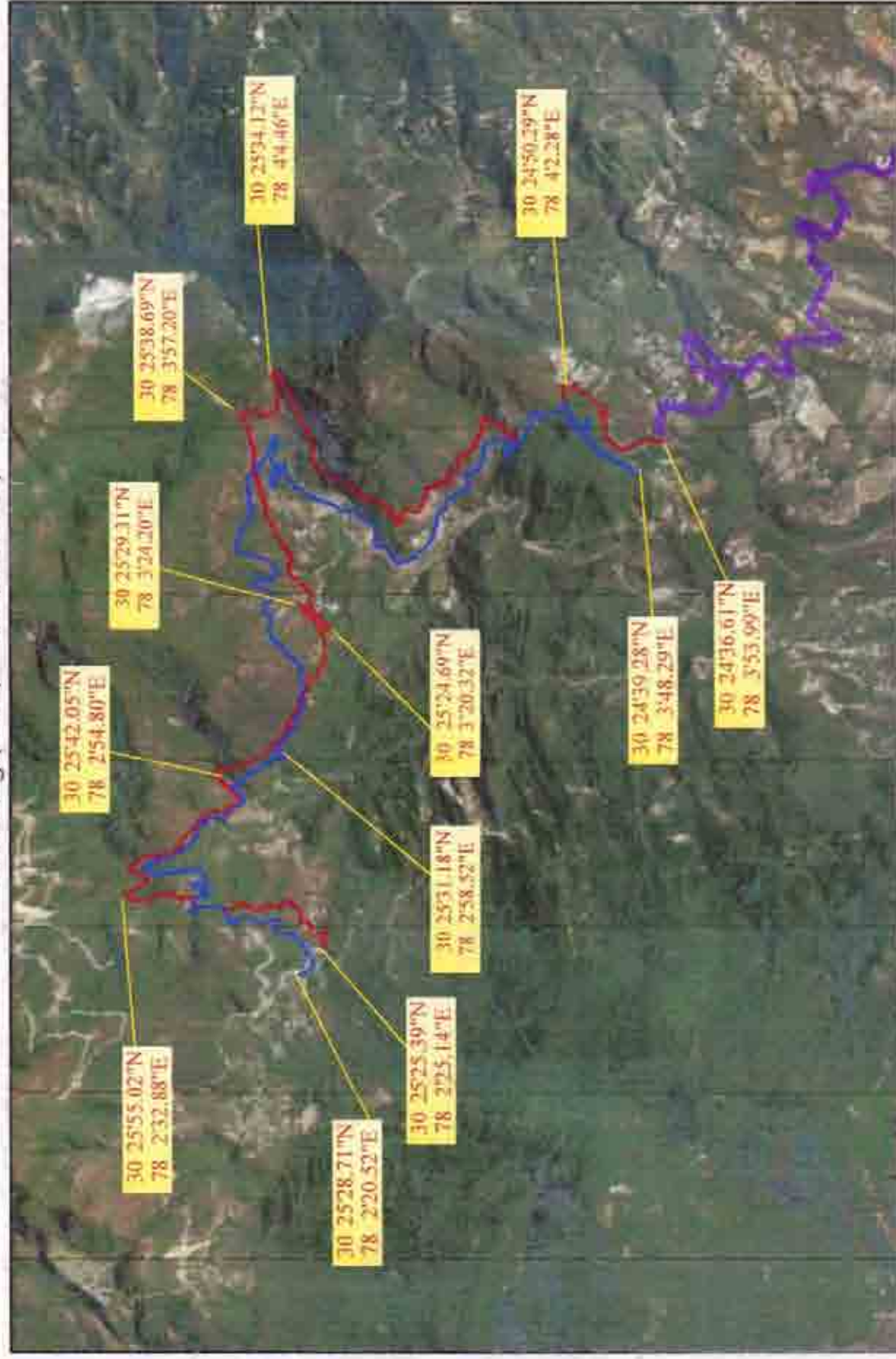
एकमीलदास (सबर)
देहरादून

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

अतिशायी अभियन्ता
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी रेंज
अतिशायी अभियन्ता
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी रेंज

डिजिटल मैप व सीडी।
Digital Topo Map

डिजिटल मैप :- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री जम सड़क योजना में प्रस्तावित पुरुकुल गाँव से मिलरली-किमाडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई - 10.40 कि०मी०)



Legend

Proposed Road
Alternative Road

Handwritten signature

अधीक्षक (सड़क)

Handwritten signature

अधीक्षक अभियन्ता
पी.एस. जी. एस. वाई.
मिठाई खण्ड, देहरादून

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

District Engineer
Dehradun
Handwritten signature
(महेश्वरी)
30/10

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून, मयूरी वन प्रभाग
मयूरी

Handwritten signature

डिजिटल मैप
कॉपी
कॉपी

40

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज

मयूरी वन प्रभाग, मयूरी

Handwritten signature

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मार्ग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।

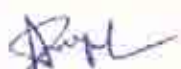
Presently the villagers (01 number of villagers Bhitar Wali with a total population of 476) have to walk through a distance of 6-10 km to meet their daily needs ,as there is no road connecting the village.Due to the non-existing of any road connectivity ,the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

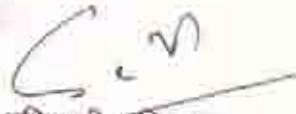
Further , due to non -existent of the road connectivity the area remains backward in all respects.The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and aggriculture.The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Haldi,Adrak,Mirch,Lehsoon,Dhan,Aaloo Etc.on their feet or by mules to the near by market.

If the road connectivity is provided to the villagers it shall enhance the social and economical developement of this area and migration of the people from the village shall be minimized.The forest land area falling in the proposed aligement of the road witch is about 8.352 Hectare has been surveyed to the minimum and also the aligement of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree falling . **Other than the proposed aligement for the road,there is no such aligement which shall reduce the diversion of forest area or falling of trees.** The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00 mtr and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological investigation along the proposed aligement has been carried out wich also states that the proposed aligement of the road is safe for the construction .There are no graveyards,religious,historical/monumental or legendary places falling in the proposed aligement of the road.

In view of the above facts and public intrest ,it is requested that the forest land area of **3.528 Hectare** may kindly be diverted for the construction of the road.


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून

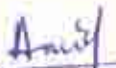

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून

प्रपत्र-12

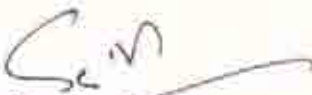
परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया। समरेखण-2 को ग्राम सभा की आपत्ति एवं समरेखण की लम्बाई अधिक होने के कारण निरस्त किया गया। प्रस्तावित समरेखण-1 को ग्राम सभा की सहमति तथा कम वृक्षों की संख्या के कारण उचित पाया गया। तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से भी समरेखण-2 को उपेक्षा समरेखण-1 को उपयुक्त पाया गया है।

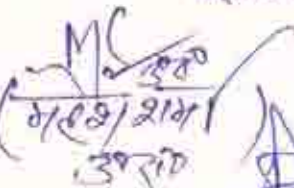

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून

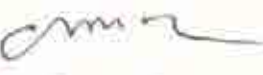

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी


(मसूरी/21/1)
3/1/10
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

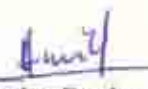
Performa for comparison between identified alignments

Sl.No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	Topography	This road starts from Purkul Village Of Bhitari- Kimari Motor Road	This road starts from Purkul Village Of Bhitari- Kimari Motor Road.
2	Length of Road	10.400 km	11.000 km.
3	Bridging requirement No. and Length		
4	Geometric		
	(a) Gradients	1- 1:18, 1:20, 1:24, 1:30, 1:40, 1:60 R level.	1- 1:18, 1:17, 1:20, 1:24, 1:30, 1:60 R.
	(b) Curves, H.P. Bends	3 No of H.P. Bends	5 No of H.P. Bends
5	Existing Means of communication, mule path, jeep, Tracks etc	Mule Track	Mule Track
6	Right of way, bringing out, Construction on account of built up areas, monuments and other structures.	7.00 Mtr	7.00 Mtr
7	(A) Terrain & Soil Condition.	Hilly Terrain.	Hilly Terrain
	(vi) Cliffs and gorges, (vii) Drainage characteristics of the area including susceptibility to flooding, (viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and descends, (ix) Variations extants and types.	(vi) Nil (vii) Good Natural Drainage hence susceptibility to damage in minimum (viii) 1089 & 1288 (ix) Ordinary bushes & Trees	(vi) Nil (vii) Good Natural Drainage hence susceptibility to damage in minimum (viii) 1089 & 1288 (ix) Ordinary bushes & Trees
8	Climate Condition: (a) Temperature Monthly max. & min. reading, (b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available), (c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available), (d) Wind direction and velocities, (e) Fog Condition, (f) Exposure to sun, (g) Unusual weather condition like cloud burst etc.	(a) Maximum 5-40°c Minimum 10-15°c (b) Not Available (c) N/A (d) North To South (e) N/A (f) well exposure to sun	(a) Maximum 5-40°c Minimum 10-15°c (b) Not Available (c) N/A (d) North To South (e) N/A (f) well exposure to sun
9	Facilities resources.		
	(a) Landing ground.	Nil	Nil
	(b) Dropping Zone.	Nil	Nil
	(c) Food stuffs.	Dehradun Market.	Dehradun Market
	(d) Labour local availability and need for import.	Locally available	Locally available.
	(e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, Stone, Shingle etc. extent of their availability and lead involved.	Haridwar from Haldwani.	Haridwar from Haldwani.
10	Value of land, agricultural land, irrigated land, built up land, forest land etc.		
11	Approximate Const. Cost.	520	550
12	Access point indicating possibility of induction of equipment.	Equipment is available at Odun.	Equipment is available at Odun.
13	Period required for construction.	1 Year	1 Year
14	Strategic Consideration.	Nil	Nil
15	Important villages, towns and markets centers to be connected	DEHRADUN	DEHRADUN
16	Recreational potential.		

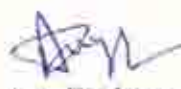
	markets centers to be connected.		
16.	Recreational potential.		
17.	Economic Factors:		
	(a) Population served by the alignment.	476	476
18.	other major development projects being taken up electric projects etc.	Will Increase	Will Increase
19.	(i) Misc. Such as camping sites (ii) Law and other problem (iii) Royalty		
	(iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material (v) Working period available for construction of work.	YES 12 month (working season)	YES 12 month (working season)
20.	Total No. of trees to be removed.		
21.	Average Density of forest cover.		
22.	Total No. of Merits	1. No any Irrigated Cultivated land involved. 2. Alignment Accepted by Villagers & their elected representative. 3. Length of road is in shorter side.	1. No any Irrigated Cultivated land involved.
23.	Total No. of Demerits	2. Some Trees are coming in the alignment.	1. The span of Culverts is in higher Side. 2. Alignment Didn't Accepted by Villagers & their elected representative. 3. Increasing of the length of road And Also increasing Cultivated land. 4. Two more HP Bend provided.

RECOMMENDATIONS:

Alignment no. (1) Recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.


Junior Engineer

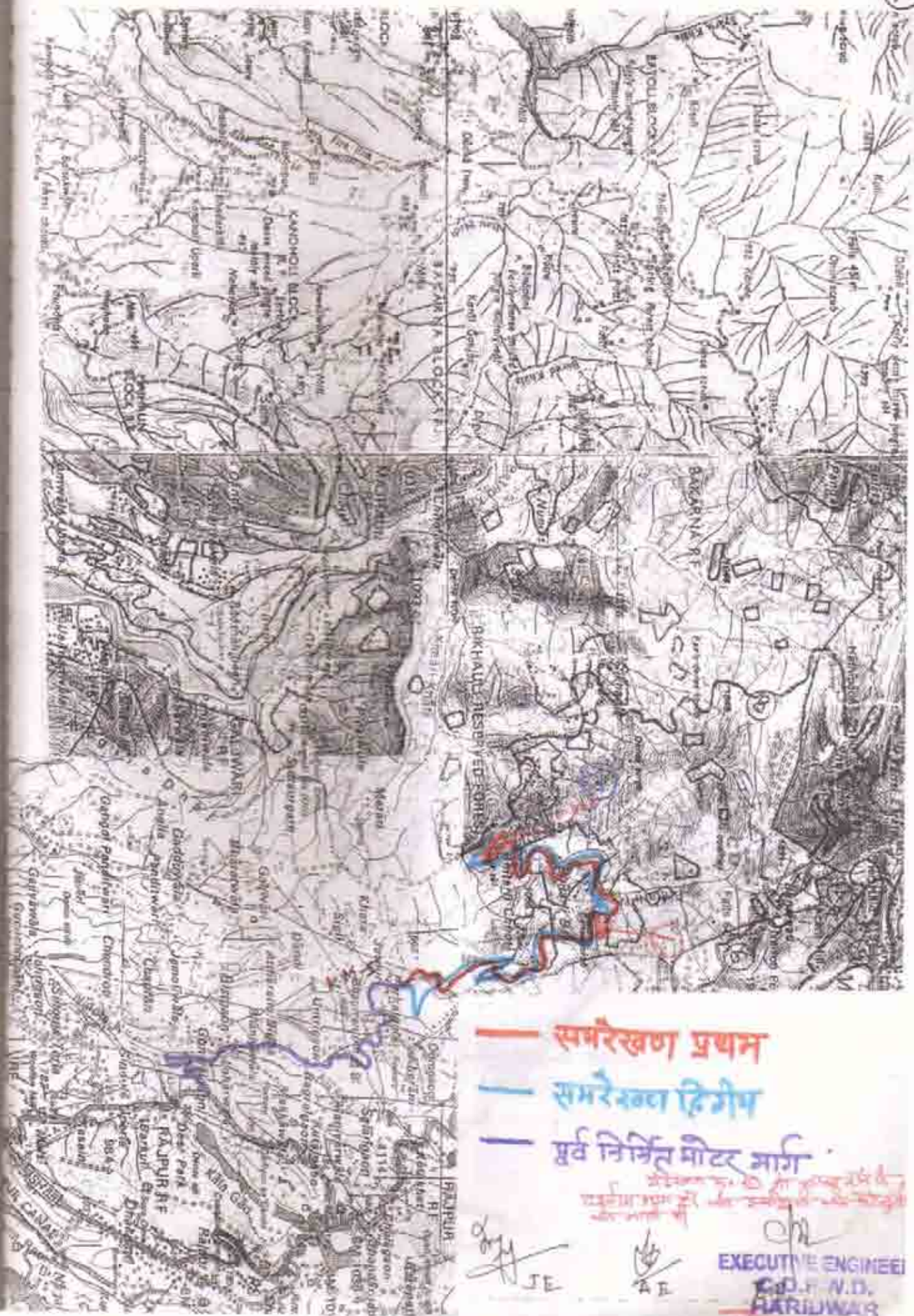
PMGSY, Jt DIV. DEHRADUN


Ass. Engineer

PMGSY, Jt DIV. DEHRADUN


Ex-Engineer

PMGSY, Jt DIV DEHRADUN



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 3.528 हे० वन भूमि की माँग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


अधिरासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून, मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

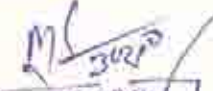


जिलाधिकारी

जिलाधिकारी


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग


(14/2/24)
30/2/24


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

परियोजना का नाम	:- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	---

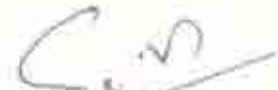
लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन भूमि)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (10.400 कि०मी०) के नव निर्माण में आरक्षित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम सं०	जिला	वन प्रभाग	वन ब्लाक	कम्पाट नं०	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (वर्ग०मी०में)	क्षेत्रफल (हे० में)
1	देहरादून	मसूरी वन प्रभाग मसूरी	राजपुर	7	500	7	3500	0.350
			रिखोली	8	2200	7	15400	1.540
			रिखोली	7	650	7	4550	0.4550
					कुल		23450	2.345


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिन्धई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिन्धई देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिन्धई देहरादून

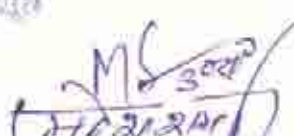

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


प्रशासकीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी


District Magistrate
Dehradun


वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग


मसूरी
3/2/20

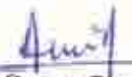
प्रपत्र-15.1

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

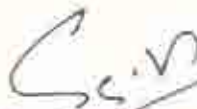
(अनुसूची वन पंचायत भूमि)

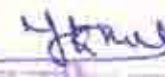
क्रम सं०	जिला	परगना	पट्टी	तहसील	मौजा	खाता संख्या	भूमि का विवरण		
							खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे० में)	अर्जित रकबा (हे० में)
शून्य									

मोटर मार्ग निर्माण हेतु पंचायत भूमि :- 0.000 है०


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून


अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून


राजेश उप निरीक्षक
सिंचाई विभाग


बहलीलदार (सदर)
देहरादून


सहसिलदार
29/11/16
परगना सिंचाई विभाग


उप निरीक्षक
सिंचाई विभाग
देहरादून

जिलाधिकारी

District Magistrate
Dehradun

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(अनुसूची सिविल सोयम भूमि)

क्रम सं०	जिला	परगना	पट्टी	तहसील	मौजा	खाता संख्या	भूमि का विवरण		
							खसरा नम्बर	कुल रकबा (है० मे)	अर्जित रकबा (है० मे)
1	देहरादून	पछवादून		देहरादून	क्यारकुलीमट्टा	65	3238	93.44	0.070
							3216	93.05	0.518
							योग		0.588
क्रम सं०	जिला	परगना	पट्टी	तहसील	मौजा	खाता संख्या	भूमि का विवरण		
							खसरा नम्बर	कुल रकबा (है० मे)	अर्जित रकबा (है० मे)
2	देहरादून	पछवादून		देहरादून	भितरली	87	330	5.765	0.595
							योग		0.595
कुल योग									1.183

मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल सोयम :- 1.183 है०


कनिष्ठा अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून

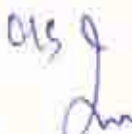

अधिशास्त्री अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून


राजेश तम निरीक्षक
खण्ड सिंचाई देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


तहसीलदार (सदर)
देहरादून
तहसीलदार


उपनिरीक्षक
खण्ड सिंचाई देहरादून


जिलाधिकारी
खण्ड सिंचाई देहरादून

प्रपत्र-16

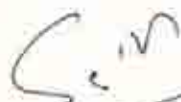
परियोजना का नाम :-	जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
--------------------	--

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण

क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी.में)	कुल क्षेत्रफल (है० में)
1.	आरक्षित वन भूमि	3350	7.00	23450	2.345
2.	सिविल सोयम वन भूमि	1690	7.00	11830	1.183
3.	वन पचायत	000	7.00	000	000
मोटर मार्ग हेतु अर्जित कुल वन भूमि					3.528
4.	नाप भूमि	5360	9.00	48240	4.824
कुल नाप भूमि					4.824
मोटर मार्ग हेतु अर्जित कुल भूमि					8.352


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून

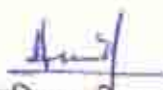

वन अधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

प्रपत्र-17

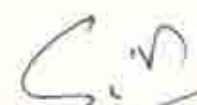
परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहस्रपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाली मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

बारचार्ट

प्रस्तावित परियोजना का बार चार्ट के मानचित्र जिसमें आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से, सिविल वन भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से दर्शाया गया है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून

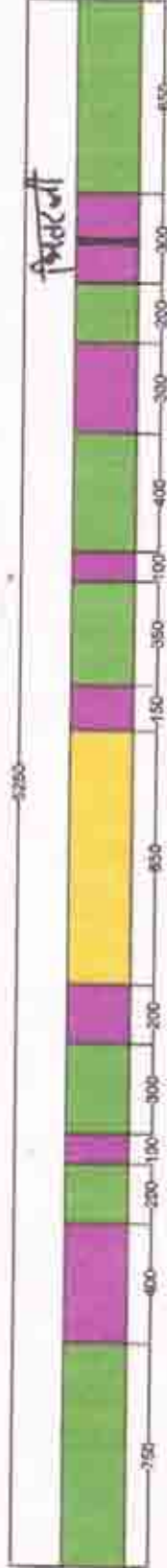
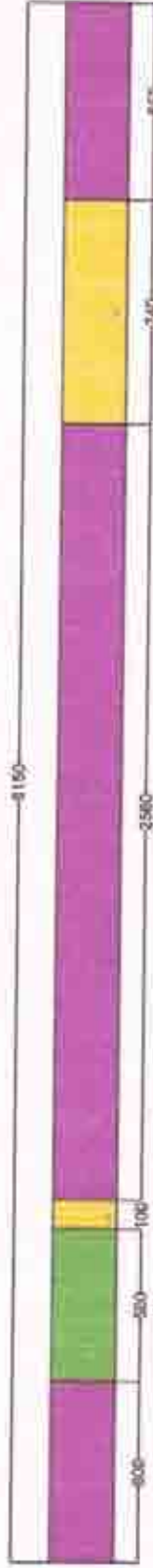

अधिसाक्षी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

BAR CHART

NAME OF ROAD :- Construction of Purkul Village to Bhtar wali- Kiman Motor Road Motor Road under PMGSY. Km 10.400
SHEET-2



वन क्षेत्राधिकारी
मसुरी रेंज
मसुरी वन प्रभाग

S.N	Type of land	Length	Width	Hect. Sym.
01	Map Land	5380	9.00	4.824
02	Civil Boyam	1690	7.00	1.183
03	Van patchayal	0000	7.00	0.000
04	Forest Land	3350	7.00	2.345

Scale 1:10000

उप प्रभारी प्रशासिक
मसुरी रेंज
मसुरी वन प्रभाग

प्रभारी
मसुरी रेंज
मसुरी वन प्रभाग

प्रभारी (मसुरी)
मसुरी रेंज
मसुरी वन प्रभाग

प्रभारी (मसुरी)
मसुरी रेंज
मसुरी वन प्रभाग

प्रभारी (मसुरी)
मसुरी रेंज
मसुरी वन प्रभाग

प्रभारी (मसुरी)
मसुरी रेंज
मसुरी वन प्रभाग

प्रभारी (मसुरी)
मसुरी रेंज
मसुरी वन प्रभाग

प्रभारी (मसुरी)
मसुरी रेंज
मसुरी वन प्रभाग

प्रभारी (मसुरी)
मसुरी रेंज
मसुरी वन प्रभाग

प्रभारी (मसुरी)
मसुरी रेंज
मसुरी वन प्रभाग

प्रभारी (मसुरी)
मसुरी रेंज
मसुरी वन प्रभाग

प्रभारी (मसुरी)
मसुरी रेंज
मसुरी वन प्रभाग

प्रभारी (मसुरी)
मसुरी रेंज
मसुरी वन प्रभाग

प्रभारी (मसुरी)
मसुरी रेंज
मसुरी वन प्रभाग

प्रभारी (मसुरी)
मसुरी रेंज
मसुरी वन प्रभाग

प्रपत्र-18

परियोजना का नाम :-	जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
--------------------	--

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी


वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग


(महसूल/अ.प्र.)
उप.प्र.

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आरक्षित वन भूमि में होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 5-5-2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित आरक्षित वन पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की नियमानुसार गणना की गई:-

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	वाणिज्यिक नाम	वृक्ष वर्ग की लंबाई में (मीटर)										योग
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1		छिन्नई		0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	20
2		कामिला		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
3		तिरुकारा		0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	7
4		लुन		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5		सेटी		0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4
6		आम		0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3
7		झींगन		0	0	11	5	2	0	0	0	0	0	24
8		काकड़ी		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
9		तिमला		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
10		रोमल		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
11		जातुन		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
12		रोमल		0	1	6	2	1	0	0	0	0	0	11
13		झींगन		0	1	11	4	1	0	0	0	0	0	7
14		अमलतास		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
15		बहेला		0	3	8	9	2	0	0	0	1	0	23
16		गीता		0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
17		सोडा		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18		कुरी		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		योग		0	32	42	32	7	0	0	0	2	1	116
क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	वाणिज्यिक नाम	वृक्ष वर्ग की लंबाई में (मीटर)										योग
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
19		वर्धन		0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	1
20		पीडा		0	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
21		लुन		0	1	1	1	1	1	-	-	-	-	5
22		हुमली		0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	1
23		रोमल		0	0	0	2	0	1	-	-	-	-	3
24		अमलतास		0	1	0	0	0	0	-	-	-	-	1
25		आमल		0	0	2	0	1	0	-	-	-	-	3
26		झींगन		0	0	2	1	0	0	-	-	-	-	3
27		छिन्नई		0	2	5	3	0	0	-	-	-	-	10
28		सेटी		0	0	0	1	1	0	-	-	-	-	2
29		तिरुकारा		0	0	2	0	0	0	-	-	-	-	2
30		तिमला		0	0	3	1	0	0	-	-	-	-	4
31		काकड़ी		0	1	1	1	0	0	-	-	-	-	3
32		कामिला		0	0	1	0	0	0	-	-	-	-	1
		योग		0	5	20	12	3	2	0	0	0	0	42
		कुल योग		0	37	62	44	10	2	0	0	2	1	158

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन अधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सिविल भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 5-5-2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित सिविल भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई:-

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	घनस्पतिक नाम	व्यास वर्ग से० मी० में (गोलाई)										योग
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1														
2				शून्य										
3														
4														


जितेंद्र कुमार
रिखोली


जितेंद्र कुमार (तदर)
देहरादून
तहसीलदार


जन सेवा अधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


उप प्रभागीय योजना अधिकारी
देहरादून, मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


प्रभागीय योजना अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 5-5-2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की नियमानुसार गणना की गई:-

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	आवृत्ति	वृक्ष वर्ग की लंबाई में (गोलाई)										योग
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
33		हिंगल		0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	6
34		मीसल		0	7	3	4	0	0	0	0	0	0	14
35		कैरल		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
36		झिगन		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
37		छिन्नई		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
38		पीपल		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
39		सहिरा		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40		आमल		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
41		अपेक्षित		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
42		अमरुत		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
43		आम		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
44		काजूर		0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
45		पीपल		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		योग		0	13	7	8	3	2	0	0	1	0	34
क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	आवृत्ति	वृक्ष वर्ग की लंबाई में (गोलाई)										योग
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
46		काजूर		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
47		कैरल		0	0	5	10	7	0	0	0	0	0	22
48		काजूर		0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	8
49		झिगन		0	8	28	15	6	0	0	0	0	0	57
50		छिन्नई		0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
51		हिरावारा		1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	6
52		मीसल		1	0	4	4	7	1	0	0	0	0	23
53		आमल		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
54		पीपल		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
55		काजूर		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		योग		2	19	46	33	23	1	0	0	0	0	124
कुल योग				2	32	53	41	26	3	0	0	1	0	158

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन विभाग अधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

तहसीलदार (सदर)
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना के निर्माण से भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का सारांश

क्र० स०	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग से० मी० में (गोलाई)										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	0	37	62	44	10	2	0	0	2	1	158
2	वन पंचायत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	सिविल सोयम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	नाप भूमि	2	32	53	41	26	3	0	0	1	0	158
	कुल योग	2	69	115	85	36	5	0	0	3	1	316

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

प्रपत्र-21

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 316 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 316 वृक्षों का प्रातन किया जाना है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून


अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


उप-प्रमुख वन अधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


प्रभागीय वन अधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

परियोजना का नाम :-	जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
--------------------	--

बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 5.05.2015 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क्र० स०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग से० मी० में (गोलार्ध)								योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90
1.			शून्य								

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

वन संरक्षक

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से गितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि में 318 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
भक्षरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


प्रभागीय वनाधिकारी
भक्षरी वन प्रभाग, मसूरी

प्रपत्र-24

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम 318 है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम 316 वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


उप प्रभागीय वन अधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


प्रभागीय वन अधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

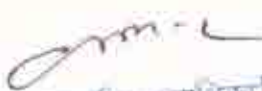
परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 7.8 कि०मी० है।

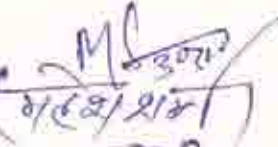

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

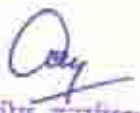
पु० ए० ३६


प्रभारी वन अधिकारी


उप प्रभारी वन अधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग


(ग/ह/३/२१३)
30/10


प्रभारी वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

प्रपत्र-26

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 5.00 किमी० की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू)

लागू नहीं

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा।

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

प्रपत्र-27

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

राष्ट्रीय पार्को/ वन्य जीव अभ्यारण में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मान्य उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून



अधिग्रन्थी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून

प्रपत्र-28

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग के निर्माण से सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में सर्वसहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि मोटर मार्ग जनहित में अति आवश्यक है तथा मार्ग निर्माण में आने वाली समस्त भूमि को वर्तमान संकिल दरों पर ग्राम्य विकास विभाग को देने को सहमत है।

अतः मार्ग निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।



ह०/-

ग्राम प्रधान की मोहर

परियोजना का नाम :- प्रधान मंत्री सड़क योजना फेज -XI के अन्तर्गत जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग , के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Cost Benefit Ratio Chart

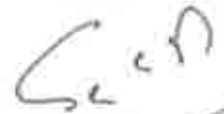
लागू नही



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
सिंचाई खण्ड,
देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
सिंचाई खण्ड,
देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
सिंचाई खण्ड,
देहरादून

सेवा में

अधिष्ठासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लौहपिथी
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

नमोदय

आपके विभाग द्वारा प्रधानमंत्री उष्ण सड़क योजना के अंतर्गत उत्तर
गंग के भिटरही मेरौली मोटा मार्ग का सर्वेक्षण (समरेखण) कराया जा
है,

आपके विभाग निर्माण खण्ड लौह निर्माण विभाग हरिद्वार द्वारा
उक्त मार्ग पर दो समरेखण (सर्वेक्षण) कराये गये हैं,

हम समस्त जनप्रतिनिधी एवं समस्त गांवों की जनता आपके विभाग
द्वारा जो कार्य करते समरेखण (सर्वेक्षण)-प्रथम से सहमत हैं,
समरेखण-प्रथम में हमारी व्यक्तिगत जमीन भी शामिल है जिसे हमें
ने हम समस्त लोग सहमत हैं.

अतः प्रमोदय समरेखण-प्रथम से हम समस्त जनप्रतिनिधी एवं समस्त
ग्रामवासी पूर्ण रूप से सहमत हैं, 2 समरेखण-प्रथम से हमें कोई हानि
नहीं है और ना ही कभी भविष्य में आपत्ती होगी

1. जयपाल सिंह 1.8 प.म.व. रि. 2
2. रवेन्द्र सिंह 19 सुभाष सिंह
3. विमल सिंह 20
4. सुशील 21 4 देव
5. राम 22
6. गंगा 23 गीत-प्रसाद
7. मधु 24
8. मधु 25
9. सुनील 26
10. पवन 27
11. सानू 28
12. सुनील 29
13. आचार्य 30
14. मोहन 31
15. सुरेश 32
16. सुरेश 33
17. सुरेश 34
18. सुरेश 35

अवधीय
आम. प्र. प्र. वि. म. म.

वीरगंजी पंचायती सावनी
सदस्य (वि. म. म. म.)
देहरादून



photo copy- ATTACHED

सहायके अभियन्ता
पी. एम. जी. एस. वाई.
सिवाई खण्ड, देहरादून



परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से मितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विशलेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं परिस्थितिकीय संतुल्य का आंकलन।

(5.000 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)

5 हैक्टेयर से कम होने के कारण लागू नहीं होगा।


आदेशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाई खण्ड, देहरादून

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांक 460/2016-

दिनांक 28-7-2016

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन

निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 26.7.16 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद देहरादून में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी गांव मोटर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 3.528 हैक्ट0 भूमि वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा /ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति - देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी- देहरादून सदर की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 3.528 हैक्ट0 भूमि जो कि वन विभाग के मसूरी रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी - देहरादून सदर की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

(अनुसंग संखधर)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

(डा. धीरज पांडे)
(जिला वन विभाग)
प्रभुसीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी देहरादून
District Magistrate
Dehradun

पृ0स0 / डी0एल0आर0सी0/दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून।

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी देहरादून
District Magistrate
Dehradun

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(For linear projects)

Government Of Uttarakhand

Office Of The District Collector Dehradun

No 460 / 2016

Dated 28-7-2016

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.528 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Div PMGSY, DEHRADUN for the Construction of Purkul Village to Bhitarli- Kimari (10.400 Km) in DEHRADUN district falls within jurisdiction of Bhitarli village in Dehradun tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.528 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: - As above.

Scm
अधिराजी बनिज्या,
पी.एम.जी.एस.वाई. सिविल जंक्शन
6, इन्दिरा नगर, देहरादून

[Signature]
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
DISTRICT COLLECTOR
Dehradun

प्रपत्र 30.1

FORM-II**(For projects other than linear projects)**

Government Of Uttarakhand

Office Of The District Collector Dehradun

No 460/2016

Dated 26.7.2016

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 3,528 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Div PMGSY, Dehradun for the Construction of Purkul Village to Bhitari- Kimari (10.400 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Bhitari village in Dehradun tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3,528 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1
- The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Chaura-Golthi villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(c) of the FRA

Encl :- As above.

अधिरासी अभिकर्ता,
पी.एम.जी.एस.वाई. सिपाई खण्ड
6, इन्दिरा नगर, देहरादून

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

District Collector
Dehradun

प्रपत्र 30.2

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Rav/nath Raman I.A.S District Magistrate, Dehradun on dated 26.7.16 at time 11:00 AM at Dehradun In which application claiming rights in measuring 3.528 Area hect for the construction of Village Purkul Village to Bhitarli- Kimari Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Dehradun sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Dehradun
Place:.....26/7/16

Dated:.....


Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

*District Magistrate
Dehradun*

Scin
कोविन्द सिंह अधिकारी,
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंगरॉई खण्ड
6, इन्दिरा नगर, देहरादून

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :-	प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग , के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
--------------------	--

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 2.345 हे०, सिविल सोयम वनभूमि 1.183 हे०) अर्थात् कुल 3.528 हे०, वनभूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी /अध्यक्ष उपखण्ड-स्तरीय वनाधिकारी समिति, तहसील सदर देहरादून तथा सम्बन्धित ग्राम समाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिनियम 2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण किसी अनुसूचित जनजाति /वनवासी की भूमि अधिग्राहित नहीं हो रही है व नहीं किसी जनजाति /वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
सिंघाई खण्ड,
देहरादून

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

(डा० धीरज पाण्डे)
प्रशासकीय वनाधिकारी
पुरुकुल वन प्रमोशन, मनु
देहरादून

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी देहरादून

Distt Magistrate
Dehradun.

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, देहरादून
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून

उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अर्न्तगत पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (2.345 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.183 हे० सिविल एवं सोयम शून्य हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.528 हे० वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देहरादून) की दिनांक 16/12/2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अरविन्द कुशा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्री <u>अरविन्द कुशा</u> (पाठ्य) उप जिलाधिकारी देहरादून	अध्यक्ष	<u>सहसपुर</u>
श्री <u>के.वी.वर्मा</u> उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	<u>सहसपुर</u>
श्री <u>आर.वि.जोशी</u> सहायक समाज कल्याण	सदस्य/सचिव	<u>सहसपुर</u>
श्री <u>म.प्र.दी.हन्नी</u> बी०डी०सी०	सदस्य	<u>सहसपुर</u>

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.528 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अर्न्तगत पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.528 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी की जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- देहरादून
जनपद- देहरादून

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- देहरादून
जनपद- देहरादून

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम :- प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में पुरुकुल गांव से मितरली-किमाडी मोटर मार्ग, के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पुरुकुल
तहसील देहरादून, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत पुरुकुल गांव से मितरली-किमाडी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (2.345 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.183 हे० सिविल एवं सोयम भूमि, 2.5 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.528 हे० वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पुरुकुल द्वारा दिनांक 07/07/2015 को सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का इनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पुरुकुल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत
पुरुकुल गांव
तहसील देहरादून
जिला देहरादून



प्रपत्र 30.5

दिनांक 07/07/14 को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत पुरुकुल

क्रमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विश्वकला बापली 4131 पंचायत/पंचायत/पंचायत/पंचायत	सदस्य जिला पंचायत एवं जिला योजना समिति देहरादून
2	श्री विद्या लाल जी वल्लभ सिंह पुष्करगंगा	
3	महेन्द्र प्रताप सिंह पुष्करगंगा	
4	गोदावरी (पुष्करगंगा) बापली श्री विद्या लाल जी वल्लभ सिंह पुष्करगंगा	
5		
6	गिरिजा जी जी गुरु उपाय गंगाधर देहापुर	
7	मदनसिंह पुष्करगंगा 35 पुष्करगंगा	
8	उपेन्द्र सिंह बापली एवं मन्मथ सिंह उपाय गंगाधर देहापुर	
9	श्याम सिंह श्री. ल. श्रीमती सिंह	
10	श्याम सिंह श्री. ल. श्रीमती सिंह पुष्करगंगा	
11	विश्वकला बापली पुष्करगंगा	
12	श्रीमती विद्या लाल जी वल्लभ सिंह पुष्करगंगा	
13	श्याम सिंह श्री. ल. श्रीमती सिंह पुष्करगंगा	
14	श्याम सिंह श्री. ल. श्रीमती सिंह पुष्करगंगा	
15	श्रीमती शारदा उपाय, सदस्य सित फलमत	
16		

ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद देहरादून में प्र० या० सड़क योजना के अन्तर्गत पुरुकुलगांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या। आख्या सं० 227/278/09

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार के अन्तर्गत 10.400 कि०मी० लम्बाई से पुरुकुलगांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग हरिद्वार ने अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन की अपोहस्ताक्षरी दिनांक 21.12.2009 को सम्बंधित सहायक अभियंता श्री आर. के. चौहान एवं कनिष्ठ अभियंता श्री बी. एन. गोविंदपाल के साथ निरीक्षण किया गया।

प्र० या० योजना के अन्तर्गत पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग का 10.400 कि०मी० लम्बाई में निर्माण का प्रस्ताव है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखनों पर सर्वेक्षण कराया गया है। समरेखन संख्या दो पर स्थानीय ग्रामवासियों की अशहानीय एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित हरिद्वार द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित समरेखन भालसी से पुरुकुल गांव पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के अंतिम टर्नेज से हिल साईड। आरम्भ होता है तथा बड़ी भितरली होते हुये छोटे भितरली पर समाप्त होता है। समरेखन में कुल तीन डेयर पिन बैण्ड्स प्रस्तावित हैं। अलग-अलग भाग में समरेखन अलग-अलग भाग में नाम भूमि, सिविल भूमि एवं आरक्षित वन में होकर गुजरता है। जो स्थान पर समरेखन स्थानीय गांवों को पार करता है, जिन पर लगे रोकड़ों के निर्माण की आवश्यकता होगी। समरेखन क्षेत्र में स्थान-स्थान पर रोकड़ों की फिलाईट एवं लाइमस्टोन बटाने दृष्टिगोचर हैं। ऊपर मिट्टी/रेबी का अवरोधन है। इ क्षेत्र में भूमि का ढलान प्रायः 20° से 45° तक प्रतीत होता है किन्तु घटती भाग उलान कहीं-कहीं तीव्र भी है। स्थल निरीक्षण से दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया क अस्थिरता दृष्टिगोचर नहीं हुई।

समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-प्राकृति एवं उचित प्रस्तर में तब तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण समितित किया जाना आवश्यक है।

- (क) ज्यादातर मार्ग की दूरी बौझई कटान करके प्राप्त की जाये। यह सविष्य में मार्ग स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ रिटर्निंग टीकर का निर्माण अपरिहार्य हो वहाँ इन निर्माण कार्य स्टेटा पर समुचित परिकल्पना को आधार पर कराया जाये।
- (ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित डेयर पिन बैण्ड कम उलान पुन बनाये जाये। प्रथम दो बैण्ड्स के साथ यथासम्भव दूरी बढ़ाई जाये।
- (ग) नीचे उलान में मार्ग की एक से अधिक आर्क की स्थिति को avoid किया जाये अन्यथा स्टेटा न होने की स्थिति में मार्ग के कटान की बाद स्थानीय गूस्खलन होने तथा मार्ग क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।
- (घ) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग कि मार्ग कटान किया जाये।

photo copy Attached

सहायक अभियंता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंवाई खण्ड, देहरादून

- (iv) समरेखन में अपेक्षाकृत तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अप्रियता उत्पन्न न हो।
- (v) जहाँ मार्ग कटान की ऊँचाई अधिक हो और स्टेरा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ-साथ समुचित स्टेरा जल का निर्माण कराया जाये।
- (vi) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कूपर का प्रावधान किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कूपर के पानी से मूषकरण न हो।
- (vii) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियंत्रिकी के अन्य मानकी एवं विनियमों का भी पालन किया जाये।

मार्ग के नवनिर्माण विषयक सम्बन्धित सम्बन्धी बिन्दु -

- (i) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाड़ी ढलान slope formation material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान को अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।
- (ii) तीव्र घटदानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान को ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते हैं तथा गड्ढे दरारे भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अप्रियता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहाँ आवश्यक हो मार्ग कटान में निवृत्त ब्लॉस्टिंग की जाये।

पुलकृत गांव से गितरली-किवाडी मोटर मार्ग हेतु 10.400 कि०मी० लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन प्रत्यक्ष परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि मूल्यांकन दृष्टि से उपयुक्त है।

धन्य -

भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आकृष्य है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/ मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लो० नि० वि०, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्राक 7272/811/अन-30/06 दिनांक 18.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

photo copy attested

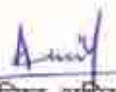
[Signature]

सहायक अभियन्ता
पी. एम. जी. एस. वाई.
सिंवाई खण्ड, देहरादून

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land to be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted steep hill slope as also to be avoided
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical Engineers and Geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground Engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads. Broadly the measures to be taken have been identified as:-

1. Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided. Box cutting is to be avoided to the extent possible.
2. Blasting by explosives is to be restricted to the minimum Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for aniline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process
3. All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v). Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are provided for purposes of establishing the slips. Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants

In certain selected unstable areas terraced has also been plasticized as a stabilizing measure with good results

- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guide lines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून

मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की नीति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रशस्त भूमि का उपयोग केवल कृषि प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराते सुनिश्चित कर लिया गया है कि मौजूद भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरण विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगा और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत है।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरण विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमियों का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये, वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरक्षण तब होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा.नि.वि. द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा.नि.वि. के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्यटन क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 808 सी. डि.नॉ. 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा.नि.वि. द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण-पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परियोजना व्यय जो भी वन विभाग द्वारा लय किया जाये वन भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खण्डे वृक्षों का पालन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बौल के पेड़ों पर पालन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पालन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन से जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संस्था का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्तित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता

पी.एम.जी.एस.वाई.ओ.

खण्ड सिंचाई देहरादून

सहायक अभियन्ता

पी.एम.जी.एस.वाई.ओ.

खण्ड सिंचाई देहरादून

अधिशारी अभियन्ता

पी.एम.जी.एस.वाई.ओ.

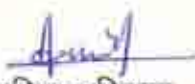
खण्ड सिंचाई देहरादून

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

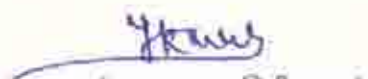
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रायोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।


कनिष्ठा अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिमाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिमाई देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिमाई देहरादून


(राजस्व उपनिरीक्षक)
उपनिरीक्षक


तहसीलदार (तवर)
देहरादून

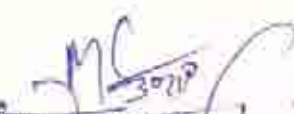
(तहसीलदार)

29/4/16
पञ्चनामिका (उप)
देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


(जिलाधिकारी)
जिलाधिकारी


उप पञ्चनामिका वन क्षेत्राधिकारी
देहरादून मसूरी रेंज प्रभाग
मसूरी

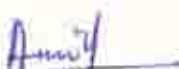

(महेश/शमश)
2020


वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किगाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों को /रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून



अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न ग्रामों/परिवारों/जनसंख्याओं को लाभ प्राप्त होगा।

क्र० स०	गांव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या	
			कूल जनसंख्या	अनुसूचित जाति/जनजाति
1	भितरली	518700	476	—
	Total		476	


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून

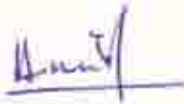

अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून

प्रपत्र-41

परियोजना का नाम :-	जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
--------------------	--

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपय 45 लाख प्रति हे० है तथा उक्त प्रयोजन हेतु.....1.183.....हे० वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रूपये 53.23 लाख होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट शून्य रू० होता है।



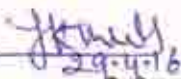
कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
सिंचाई खण्ड
देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
सिंचाई खण्ड
देहरादून



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
सिंचाई खण्ड
देहरादून



राजस्व उप निरीक्षक
जगदीश कुमार
राजस्व वसुधैव कुटुम्बकम्
क्षेत्र-देहरादून



तहसीलदार (सदर)
देहरादून



वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
नक्षरी वन प्रभाग



प्रमाणित (सदर)
देहरादून



जिलाधिकारी
District Magistrate
Dehradun

प्रपत्र-42

परियोजना का नाम:- जनपद-देहरादून में सहसपुर विकासखण्ड में पी.एम.जी.एस.वाई के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लं०-10.400 किमी०) के नव निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रस्ताव/प्राक्कलन।

प्रस्तावित कार्य हेतु प्रत्यावर्तित आरक्षित वनभूमि एवं सिविल भूमि मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज के अन्तर्गत स्थित है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का नाम-ग्राम-खारसी सिविल (चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत)

चयनित क्षेत्र की जी०मी०एस० लोकेशन N. 28° 43' 35.42" E. 77° 56' 41" से 78° 00' 00" E. से 7.056 है० 32187 मी०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रु०)	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	है०	7.056	120	846.72
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी काटान आदि)	है०	7.056	1578	11134.37
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (कैन्सिंग) प्र० है० 84 घ०मी० औसत	घ०मी०	300	291	87300.00
4	कन्दूर फरों कार्य (प्रति है० 500 र०मी०) का खुदान	र०मी०	300	10	3000.00
5	गद्दा खुदान (0.30×0.30×0.45)	गद्दा	14112	7	98784.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	है०	7.056	4.85	58200.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	पौध	14112	5.93	83684.16
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र सयन्त्र औजार तैज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	है०	7.056	489	3450.38
9	जल एवं मृदा संरक्षण कार्य - प्रति है०/सं०	है०	7.056	9150	64562.40
योग-प्रथम चरण					410962.03
द्वितीय चरण					
1	गद्दा भरान कार्य (0.30×0.30×0.45)	गद्दा	14112	1.3	18345.60
2	कन्दूर फरों में बीज की बुआई (प्रति है० 500 र०मी०)		3000	0.8	2400.00
3	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	पौध	14112	1.05	14817.60
4	पौध बुलान कार्य (25 प्रतिशत नंगी जड़ तथा 75 प्रतिशत बैग पौध रोपण तथा 25 किमी० वाहन व 3.00 किमी० सिरबोझ औसत पर)	प्र०सै०पौध प्र०किमी०	14112	6.50 / सै०/ किमी०	214500.00
5	रोपण एवं थापलाबन्दी	प्र०सै०पौध	14112	3	42336.00
6	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	प्र०सै०पौध	14112	2	28224.00
7	खाद व दवा पर व्यय	प्र०सै०पौध	14112	16	2257.92
8	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय 9 माह का (10 है०) 3 श्रमिक 9 माह	सं०		6183	166941.00
9	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	है०	7.056	367	2589.55
10	9.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	है०	7.056	272	1919.23
11	9.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	है०			

48
R.O

12	अ-प्रशिक्षण	है0	7.056	577	4071.31
13	ब-प्रोत्साहन	है0	7.056	289	2039.18
14	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध बुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीनसीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार प्रसार एवं डेक्कूमेंटेशन आदि कार्य	है0	7.056	1327	9363.31
15	कन्दूर खाइयों में घास स्लिप का रोपण बुलान सहित		7.056	883	6230.45
	योग-द्वितीय चरण				516035.16
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण				926997.19
	तृतीय चरण				
19	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	है0	7.056	8244	58169.66
20	20.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	है0	7.056	367	2589.55
	20.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी0 पट्टी साफ करना	है0	7.056	277	1954.51
	20.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ-प्रशिक्षण	है0	7.056	577	4071.31
	ब-प्रोत्साहन	है0	7.056	289	2039.18
	योग-तृतीय चरण				68824.22
	चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	है0	7.056	8244	58169.66
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	है0	7.056	367	2589.55
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी0 पट्टी साफ करना	है0	7.056	277	1954.51
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ-प्रशिक्षण	है0	7.056	577	4071.31
	ब-प्रोत्साहन	है0	7.056	289	2039.18
	योग-चतुर्थ चरण				68824.22
	पंचम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख-रखाव (उक्तानुसार समस्त कार्य)	है0	7.056	9754	68824.22
	षष्ठम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख-रखाव (उक्तानुसार समस्त कार्य)	है0	7.056	9754	68824.22

	सप्तम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख-रखाव (उक्तानुसार समस्त कार्य)	है0	7.056	9754	68824.22
	अष्टम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख-रखाव (उक्तानुसार समस्त कार्य)	है0	7.056	9754	68824.22
	नवम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख-रखाव (उक्तानुसार समस्त कार्य)	है0	7.056	9754	68824.22
	दशम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख-रखाव (उक्तानुसार समस्त कार्य)	है0	7.056	9754	68824.22
	योग				412945.34
	कुल योग				1477590.98
	या				1477300.00

वसूली वर्ष 2016-17 एवं रोपण वर्ष 2017-20 हेतु अतिरिक्त व्यय को निर्धारित दर से 250307.22 है0 - 45 16,25, 11,000

प्रशासकीय प्रमुख
वन प्रभाग
कालसी

प्रशासकीय प्रमुख
वन प्रभाग
कालसी

परियोजना का नाम—

जनपद—देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर ब्लॉक में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत पुरकुल गांव से भितरली—किमाडी मोटर मार्ग कुल लम्बाई 10.40 कि०मी० के नव निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि 3.350 कि०मी० में 3.528 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

प्राक्कलन बावत प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर सीमाबन्दी/पिलर निर्माण का प्राक्कलन

मसूरी राजि, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी									
क्र० सं०	कार्य विवरण	इकाई	नपत मी० में			परिमाण / संख्या		दर प्रति	धनराशि
			लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई				
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	सीमांकन कार्य हेतु आर०री०सी० पिलरों का निर्माण करना, लगभग 50 मीटर दूरी पर एक पिलर निर्माण करना।					134 पिलर		2000.00	268000.00
					योग—				268000.00

उप प्रशासक, वन विभाग
देहरादून
असुरे राव

विकास
अ.प.

मसूरी राजि, मसूरी।
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी राजि, मसूरी।
मसूरी वन प्रभाग

मसूरी वन प्रभाग

प्रपत्र-43

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग मोटर मार्ग (10.400 कि० मी०), के नव निर्माण हेतु अर्जित भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.528 है० है के हस्तान्तरण मामले में दुगने क्षेत्रफल 7.056 है० अनवरत सिविल एवं सोयम भूमि मौजा खारसी में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


(राजस्व उपनिरीक्षक)


क्षेत्री


(उपजिलाधिकारी)
परमेश्वर प्रसाद (लिवर)
देहरादून


(तहसीलदार)
सहसीलदार (सदर)
देहरादून

45

(जिलाधिकारी)
District Magistrate
Dehradun


वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
प्रभु वन प्रभा

45

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
प्रभु वन प्रभा


प्रमाणित वन अधिकारी
प्रमाणित वन अधिकारी
चक्रवर्ती देहरादून

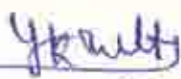

प्रमाणित वन अधिकारी
चक्रवर्ती वन प्रभा
काली

प्रपत्र-43

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग मोटर मार्ग (10.400 कि० मी०), के नव निर्माण हेतु अर्जित भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.528 है० है के हस्तान्तरण मामले में दुगने क्षेत्रफल 7.056 है० अनवरत सिविल एवं सोयम भूमि मौजा खारसी में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


(राजस्व उपनिरीक्षक)

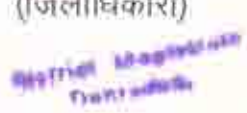
क्षेत्र: रिहवाली

(उपजिलाधिकारी)



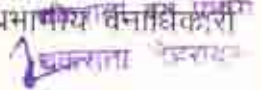
(तहसीलदार)

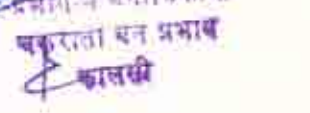

45

(जिलाधिकारी)



वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
प्रभारी वन प्रभाव



प्रभारी वन अधिकारी
प्रभारी वन अधिकारी
चक्रवर्ती देहरादून



प्रभारी वन अधिकारी
चक्रवर्ती देहरादून
कालकी


परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहशपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गाव से मितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम हेतु दुगुनी अर्जित सिविल एवं सोयम भूमि का विवरण

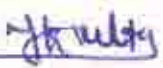
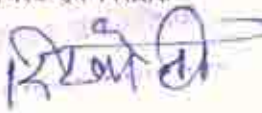
क्रम सं०	जिला	परगना	पट्टी	तहसील	मौजा	खाता संख्या	भूमि का विवरण			अन्य विवरण
							खसरा न०	कुल रकबा है०	अर्जित रकबा है०	
1	देहरादून	जौनसार बावर		चकराता	खारसी	000193	2336	61.00	7.056	
							योग	61.00	7.056	

वृक्षारोपण हेतु दुगुनी अर्जित सिविल एवं सोयम वन भूमि 7.056 है०।


कमिष्ट अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
सिंचाई खण्ड
देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
सिंचाई खण्ड
देहरादून


अधिक्षासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
सिंचाई खण्ड
देहरादून

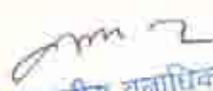

राजेश सिंह निरीक्षक
क्षेत्र



क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
नर्सरी वन प्रभाग


उपनिरीक्षक (सदर)
देहरादून


उपजिलाधिकारी
29/7/16
परगना मजिस्ट्रेट (सदर)
देहरादून

जिलाधिकारी


रूप प्रभाजीय बलाधिकारी
देहरादून नर्सरी वन प्रभाग
मसूरी

श्रीमान तहसीलदार कालसी/चकराता

विषय:- पुरुकुल भितरली किमाडी मोटर मार्ग के निर्माण में गैर कानूनी कार्य हेतु
वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में

महोदय,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
देहरादून के पत्र सं 747/पी.एम.जी.एस.वाई./सि.ख.दे.दून/जनरल दिनांक
10/06/2015 पर आपके पृष्ठांकित आदेश दिनांक 23/06/2015 के अनुपालन में अवगत
करना है कि पुरुकुल भितरली किमाडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित
3.528 हे० वन भूमि के सापेक्ष भूतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि 7.1 हे०
बंजर भूमि ग्राम खारसी तहसील चकराता जिला-देहरादून की खाता-खतौली
क्रमांक 192 खसरा न० 2336 कुल रकबा 61.000 हे० में से 7.1 हे० भूमि
उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की जाती है।

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु जांच आख्या रिपोर्ट संस्तुति
सहित सेवान्ते अर्पित है।

power attested


सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड, देहरादून


राजेश कृष्ण निरीक्षक
वै.आ.
चकराता

(5)

प्रेषक,

तहसीलदार,
चकराता।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्र०)
देहरादून।

द्वारा— उप जिलाधिकारी, चकराता।

संख्या— 1420/एस०टी०/2015 दिनांक चकराता

सितम्बर, 21 2015

विषय— इस खण्ड द्वारा प्रस्तावित ग्राम पुरुकुल भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग के नवनिर्माण में आ रही वन भूमि के प्रतिकर स्वरूप वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि 7.1 हेक्टेयर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई, सिंचाई खण्ड के पत्र संख्या 747/पी०एम०जी०एस०वाई/सि०ख०-दे०दून/जनरल दिनांक 10.06.2015 पर आपके पृष्ठांकन आदेश के अनुपाल में पुरुकुल भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 3.528 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि 7.1 है० बंजर भूमि को चयनित हेतु राजस्व उप निरीक्षक बरौथा तहसील चकराता को निर्देश दिये गये।

राजस्व उप निरीक्षक बरौथा द्वारा अपनी आख्या दिनांक-21.09.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि पुरुकुल भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 3.528 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि 7.1 है० बंजर भूमि ग्राम खारसी तहसील चकराता की खाता खतौनी क्रमांक 192 खसरा नं० 2336 कुल एकवा 61.000 है० में से 7.1 है० भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु प्रस्तावित कर आख्या प्रस्तुत की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक बरौथा की आख्या संलग्न कर सेवा में सादर प्रेषित।

भवदीय,

1/21/15
(डी०जी० वर्मा)

तहसीलदार, चकराता।

ADm CAJ महोदय को

मात्र डी०जी० वर्मा के
photo copy attached

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
सिंचाई खण्ड, देहरादून

24/9/15
SD

नर्स
डि०जी० वर्मा
DLRC
ADm CAJ

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून

संख्या- 1141 / 125-143 (2014-17) / डी०एम०आर०सी० / 2015 दिनांक 18 जनवरी, 2018

विषय- जनपद देहरादून में पुरस्कृत भितरली बिमाड़ी मोटर मार्ग के नवनिर्माण में आरबी 3528 ई० तक भूमि के अधिकार स्वच्छ योगुनी विधित्त योग्य / बंजर भूमि 7.1 ई० प्रतिशत वृद्धावधि हेतु नव विमान को हस्तान्तरण किये किये जाने के सम्बन्ध में।

उपाध्यक्ष/प्रिन्सी, अकराता
(जनपद देहरादून)

उपरोक्त उल्लिखित प्रकारता पर आपकी उक्त दिनांक 24 सितम्बर, 2015 को जिलाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुयी है। जनपद देहरादून में पुरस्कृत भितरली बिमाड़ी मोटर मार्ग के नवनिर्माण में आरबी 3528 ई० तक भूमि के अधिकार स्वच्छ योगुनी विधित्त योग्य / बंजर भूमि 7.1 ई० प्रतिशत वृद्धावधि हेतु नव विमान को हस्तान्तरण किये किये जाने के सम्बन्ध में।

आप के द्वारा प्रेषित उपरोक्त प्रस्ताव को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित एजेंसी ने दिनांक 15.01.2018 को अनुमोदित कर दिया गया है।

आप अपनी निर्दिष्ट किये जाता है कि आप जिलाधिकारी महोदय को अनुमोदित प्रस्ताव दिनांक 18.01.2018 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत करेंगे। प्रस्ताव में आरबी 3528 ई० तक भूमि के अधिकार स्वच्छ योगुनी विधित्त योग्य / बंजर भूमि 7.1 ई० प्रतिशत वृद्धावधि हेतु नव विमान को हस्तान्तरण किये किये जाने के सम्बन्ध में।

(प्रकाश सिंह आर०)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देहरादून

आवेदनकर्ता

अभियन्ता अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंवाई खण्ड, देहरादून जो उपरोक्त विधित्त योग्य / बंजर भूमि 7.1 ई० प्रतिशत वृद्धावधि हेतु नव विमान को हस्तान्तरण किये किये जाने के सम्बन्ध में।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देहरादून



photocopy attached

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंवाई खण्ड, देहरादून

प्रपत्र-44

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

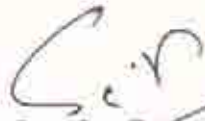
1:50000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(1.000 हे० से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)

लागू नहीं


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिवाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिवाई देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिवाई देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


रेंज अधिकारी
सिवाली रेंज
मसूरी वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रकारता वन प्रभाग
प्रकारता (देहरादून)

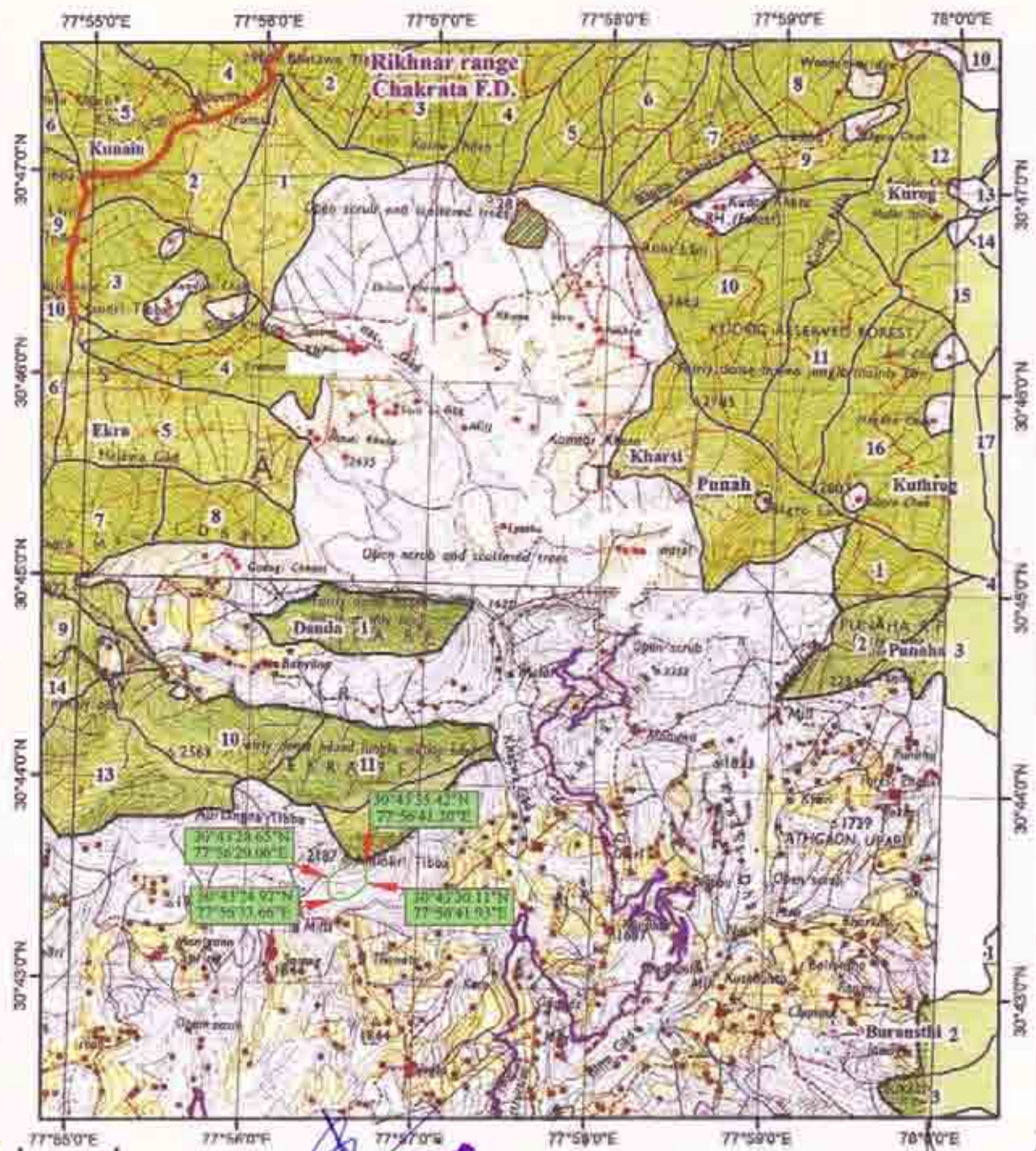

सह-प्रजागित अधिकारी
चक्रवर्ती
काली

डिजिटल मैप

— प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु

Compensatory Afforestation

0 0.5 1 1.5 2Km



Legend

- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest Area
- Forest Division Boundary
- Forest Range Boundary
- Compensatory Afforestation
- Motor Road

प्रभागीय वनाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

रेंज अधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

सहसलीदार (सदर)
देहरादून

वन प्रभाग
देहरादून

आदेशकारी अभियन्ता
पी. एम. जी. एस. वाई.
सिंचाई खण्ड, देहरादून

जनकीर्ण कुंज
29/11/11
महामा नजिबुल्लाह (सिपह)
देहरादून

प्रपत्र-45

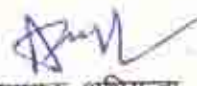
परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का रंगीन गूगल मानचित्र, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, संलग्न किया जाय। मानचित्र में समस्त सूचनाओं जी०पी०एस० शीटिंग सहित दर्शाते हुए संकेत तालिका में भी दिया जाय।

(1.000 हे० से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)

लागू नहीं

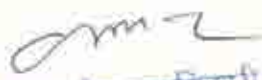

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून


वन वित्त अधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी प्रभाग
देहरादून


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


सिंचाई विभाग
खण्ड सिंचाई देहरादून


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी प्रभाग
देहरादून

Compensatory Afforestation



उप प्रमोणीयं वसोतिगन्ध

मायूरी

मैन क्षेत्राधिकारी **सह-प्रभागीय वन्यधिकारी**

चक्रपत्ता बन् प्रमाण

नि

मन् क्षेत्राधिकारी

मसूरी रेंज

संस्मृति वृत्त प्रभा

12

4

1003

Compensatory Affordances

Vertical Magnitude

Implications

$$\frac{d \ln J}{d T}$$

29/9/16

ना. न. जे. (सदर)

सहस्री (सहस्र)
दशम

Dr. A.C.

S. 10
अधिशाली अभिवाञ्छा
पी. एन. जी. एस. वाई
सिंवाई खण्ड, देहरादून

Handwritten signature

Rd. 1

6 sh

Compensatory Affordances

Vertical Magnitude

Implications

1003

Compensatory Affordances

Vertical Magnitude

Implications

जनपद-देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर ब्लॉक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पुरकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग कुल लम्बाई 10.40 कि0मी0 के नव निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि 3.350 कि0मी0 में 3.528 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव

प्राक्कलन बावत परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त पड़ी भूमि पर उचित वृक्षों का रोपण व 10 वर्षों तक रखरखाव कार्य करना।

रेंज का नाम- मसूरी रेंज.

प्रभाग का नाम- मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

वृक्षारोपण स्थल का नाम - पुरकुल से किमाड़ी तक प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण करना।

क्र०सं०	कार्य का नाम	गमत्त (मी०में)			इकाई		दर (रु०)		योग
		ल०	चौ०	ऊँ०					
1	सर्वे एवं सीमांकन				4.00	है०	120	प्र०है०	480.00
2	क्षेत्र की सफाई				4.00	है०	1578	प्र०है०	6312.00
3	तारबाड करना-								
	(1) तारबाड हेतु खम्बे गाडने हेतु गड्डे खुदान करना. (60 से०मी० गहरे 30 से०मी० व्यास के)					1435 गड्डे	9.00		12915.00
	(2) तारबाड हेतु सीमेंट के खम्बे कय करना (1.80x0.10x0.08)					1435 खम्बे	407.00		584045.00
	(3) खम्बों का ढुलान करना, मय लोडिंग, अनलोडिंग के					1435 खम्बे	8.00		11480.00
	(4) खम्बे सीमेंट कंकीट में फिट करना, ढुलान सहित (0.20x0.18x0.20)					1435 खम्बे	29.00		41615.00
	(2) तारबाड हेतु तार कय करना, 1350 मीटर 4 लड में	4300x4=17200/8=2150 kg. or 21.50 qtl.			21.50	क्वी०	7000.00		150500.00
	(6) काटेदार तार को चार लड में खिंचना-				4300	र०मी०	2.34		10062.00
4	गड्डा खुदान	0.30	0.30	0.45	2500	गड्डे	7.40	प्र०गड०	18500.00
5	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)				2500	पौ०	5.93	प्र०पौ०	14825.00
6	अन्य व्यय जैसे यंत्र, सयन्त्र, औजार तैज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय				4.00	है०	LS	प्र०है०	500.00
7	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाला-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यो हेतु प्राविधान, गली प्लगिंग व खाल का निर्माण				4.00	है०	9150	प्र०है०	36600.00
	योग-प्रथम चरण								887834.00

द्वितीय चरण

1	गड्डा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	0.30	0.30	0.45	2500	गड्डे	1.30	प्र०गड०	3250.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)				2500	पौ०	1.05	प्र०पौ०	2625.00
3	पौधों का सरबोझ एवं ट्रक / वाहन द्वारा ढुलान (30 कि०मी० दूरी से				2500	पौ०	6.50	प्र०से० प्र०कि०मी०	4875.00

4	बैंग पौधों का वाहन पर लदान				2500	मी०	28.00	प्र०से० मी०	700.00
5	बैंग पौधों का वाहन से उतराई				2500	मी०	28.00	प्र०से० मी०	700.00
6	पौध रोपण, दबाना, अन्दर की ओर गड़्ढों में ढाल बनाना तथा थावलाबन्दी व रोपण क्षेत्र के भीतर पौधों का ढुलान कार्य—				2500	मी०	2.74	प्र०मी०	6850.00
7	6.1— प्रथम निराई गुड़ाई				2500	मी०	1.50	प्रति	3750.00
	6.2— द्वितीय निराई गुड़ाई				2500	मी०	1.50	प्रति	3750.00
8	खाद व दवा पर व्यय				2500	मी०	21.00	प्र०से०मी०	525.00
9	देख-रेख व रखरखाव पर व्यय, रोपण वर्ष में 9 माह				9	माह	6183	प्रति माह	55647.00
10	9.1— वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत 12 माह सूखे घास फूस एवं जलवलनशील प्रदार्थों को हटाना प्रति हे०				4.00	हे०	367.00	प्र०हे०	1468.00
	9.2 —सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना 250 मी०				4.00	हे०	277.00	प्र०हे०	1108.00
11	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन शीट क्रय, वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं उक्क्यूमेंटेशन आदि कार्य				4.00	हे०	1327	प्र०हे०	5308.00
12	कन्दूर खाईयों में घास स्ट्रिप का रोपण ढुलान सहित				4.00	हे०	883	प्र०हे०	3532.00
	योग द्वितीय चरण								94088.00
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण								981922.00

तृतीय चरण

1	शोधन वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुस्मरण कार्य 12 माह			4.00	₹0	8244 प्र0₹0	32976.00
2	2.1 - वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एव ज्वलनशील प्रदूषकों को हटाना प्रति हे०			4.00	₹0	367 प्र0₹0	1468.00
	2.2 - सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० गट्टी साफ करना 200 मी०			4.00	₹0	277 प्र0₹0	1108.00
	योग-तृतीय वर्ष						35552.00

चतुर्थ चरण

1	शोधन वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.00	₹0	8244	प्र0₹0	32976.00
2	2.1 - वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत खुले घास फूस एवं ज्वलनशील प्रदार्थों को हटाना प्रति हे०	4.00	₹0	367	प्र0₹0	1468.00
	2.2 - शूल्जा दीवाल के बाहर 4 मी० गट्टी साफ करना 200 मी०	4.00	₹0	277	प्र0₹0	1108.00
	योग चतुर्थ चरण					35552.00

पंचम चरण

1	लेपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव (उपरीक्तानुसार समस्त कार्य)	4.00	₹	9754	₹	17776.00
	योग पंचम चरण					17776.00

षष्ठम चरण

1	सोपन वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)				4.00	है०	9754	प्र०है०	17776.00
	योग षष्ठम चरण								17776.00

सप्तम चरण

1	सोपन वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)				4.00	है०	9754	प्र०है०	17776.00
	योग सप्तम चरण								17776.00

अष्टम चरण

1	सोपन वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)				4.00	है०	9754	प्र०है०	17776.00
	योग अष्टम चरण								17776.00

नवम चरण

1	सोपन वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)				4.00	है०	9754	प्र०है०	17776.00
	योग नवम चरण								17776.00

दशम चरण

1	सोपन वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)				4.00	है०	9754	प्र०है०	17776.00
	योग दशम चरण								17776.00
	कुल व्यय								1159682.00

or say

1159000.00

प्रमुख अधिकारी
पर्यावरण
नगरपालिका, काठमाडौं

or say
प्रमुख अधिकारी
नगरपालिका, काठमाडौं

प्रमुख अधिकारी
नगरपालिका, काठमाडौं
नगरपालिका, काठमाडौं

प्रमुख अधिकारी
नगरपालिका, काठमाडौं

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

**व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल
अनापत्ति प्रमाण-पत्र**

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग में वन भूमि मार्ग निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है इस प्रयोजन हेतु यदि हमारी भूमि अर्जित की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

क्रास सेक्शन 1/18, 1/37, 2/18 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु ग्राम क्यारकुली भट्टा राजस्व निरीक्षक क्षेत्र रिचकी तहसील देहरादून जिला देहरादून में अर्जित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	काशतकार का नाम एवं पिता का नाम	खाता सं०	खसरा सं०	कुल रकबा है०	प्रस्तावित रकबा है० मै।	काशतकार के हस्ताक्षर
1	विपिन थापा पु० गजेन्द्र सिंह थापा	85	3238 ग	1.00	0.640	
	योग					


सहायक अभियन्ता
पी. एम्. सी. एस. वार्ड
देहरादून


तहसीलदार (रुबर)
देहरादून


राजस्व उप निरीक्षक 80
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
जनपद - देहरादून


क्षेत्र रिचकी

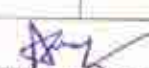
परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

**व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल
अनापत्ति प्रमाण-पत्र**

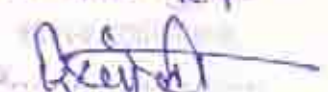
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग में वन भूमि मार्ग निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है इस प्रयोजन हेतु यदि हमारी भूमि अर्जित की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

क्रास सेक्शन 2/32, 2/10, 4/25 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु ग्राम क्यारकुली भट्टा राजस्व निरीक्षक क्षेत्र रिचौली तहसील देहरादून जिला देहरादून में अर्जित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	काशतकार का नाम एवं पिता का नाम	खाता सं०	खसरा सं०	कुल रकवा है०मी	प्रस्तावित रकवा है० मी।	काशतकार के हस्ताक्षर
1	सुधा ग्याल	05	3238 घ	1.155	0.600	
	योग			1.155	0.600	


सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
पी. एम. जी. एस. वाई.
सिंघाई खण्ड, देहरादून


तहसीलदार (सदर)
देहरादून


राजस्व उप निरीक्षक ह०
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
जनपद देहरादून


परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

**व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल
अनापत्ति प्रमाण-पत्र**

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग में वन भूमि मार्ग निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है इस प्रयोजन हेतु यदि हमारी भूमि अर्जित की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

क्रास सेक्शन 5/1 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु ग्राम भितरली राजस्व निरीक्षक क्षेत्र रिचोली
तहसील देहरादून जिला देहरादून में अर्जित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	काशतकार का नाम एवं पिता का नाम	खाता सं०	खसरा सं०	कुल रकवा है० मै	प्रस्तावित रकवा है० मै।	काशतकार के हस्ताक्षर
1	अमरसिंह, चतरसिंह	3	610,609,6 08,607,60 6,605,819 818,817, 805,803,8 16,759	0.223	0.055	अमरसिंह
	योग			0.223	0.055	

सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
पी. जगन्नी. एस. सी. डी. 157
डिवाइड खण्ड, देहरादून

राजस्व उप निरीक्षक ह०
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
देहरादून

राजस्व उप निरीक्षक ह०
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
देहरादून

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग में वन भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है इस प्रयोजन हेतु यदि हमारी भूमि अर्जित की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

क्रास सेक्शन 8/4, 6/22 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु ग्राम भितरली निरीक्षक क्षेत्र रिचोली तहसील देहरादून जिला देहरादून में अर्जित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	काशतकार का नाम एवं पिता का नाम	खाता सं०	खसरा सं०	कुल रकवा है०मै	प्रस्तावित रकवा है० मै।	काशतकार के हस्ताक्षर
1	वीरसिंह, अमरसिंह	53	485,486,4 88,840,80 4,890,887 .909	1.026	0.240	<i>(Signature)</i>
	योग			1.026	0.240	

(Signature)
सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई
सिवाई अण्ड, देहरादून

(Signature)
प्रहरीलदार (सदर)
देहरादून

(Signature)
राजस्व उप निरीक्षक इ०
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक देहरादून
जिला देहरादून
(Signature)

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग में वन भूमि मार्ग निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है इस प्रयोजन हेतु यदि हमारी भूमि अर्जित की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

क्रास सेक्शन 8/1, 8/20 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु ग्राम भितरली निरीक्षक क्षेत्र रिजोली तहसील देहरादून जिला देहरादून में अर्जित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	काशतकार का नाम एवं पिता का नाम	खाता सं०	खसरा सं०	कुल रकबा है०मी	प्रस्तावित रकबा है० मी।	काशतकार के हस्ताक्षर
1	मजनसिंह, दलीपसिंह	55	329,328	0.986	0.200	मजनसिंह दलीप सिंह
	योग			0.986	0.200	

सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
पी.एम.सी.ए.ए.डी.सी.
बिचाई खण्ड, देहरादून

चहसीलदार (सदर)
देहरादून

राजस्व उप निरीक्षक ह०
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक

रिजोली

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

**व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल
अनापत्ति प्रमाण-पत्र**

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग में वन भूमि मार्ग निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है इस प्रयोजन हेतु यदि हमारी भूमि अर्जित की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

क्रास सेक्शन 9/4 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु ग्राम भितरली निरीक्षक क्षेत्र रिश्वाली तहसील ...
देहरादून जिला देहरादून में अर्जित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	काशतकार का नाम एवं पिता का नाम	खाता सं०	खसरा सं०	कुल रकवा है०में	प्रस्तावित रकवा है० में।	काशतकार के हस्ताक्षर
1	अमीचन्द	5	172	1.060	0.100	<u>अमीचन्द</u>
	योग			1.060	0.100	

सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
पिन्हाड जी. एन. सिंघा
सिंघाई खण्ड, देहरादून

ओके
तहसीलदार (सदर)
देहरादून

राजस्व उप निरीक्षक ह०
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक

राजस्व उप निरीक्षक

रिश्वाली

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

**व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल
अनापत्ति प्रमाण-पत्र**

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग में बन भूमि मार्ग निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है इस प्रयोजन हेतु यदि हमारी भूमि अर्जित की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

क्रास सेक्शन 8/24 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु ग्राम भितरली निरीक्षक क्षेत्र रिहवाली तहसील देहरादून जिला देहरादून में अर्जित भूमि का वितरण निम्न प्रकार है-

क०स०	काशतकार का नाम एवं पिता का नाम	खाता स०	खसरा सं०	कुल रकवा है०में	प्रस्तावित रकवा है० मै।	काशतकार के हस्ताक्षर
1	महेन्द्र सिंह थापली	77	246	0.154	0.100	<u>महेन्द्र</u>
	योग			0.154	0.100	

सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
मि. राजेश ए. एस. वाई.
सिवाई खण्ड, देहरादून

राजेश
मालदार (तदर)
देहरादून

राजस्व उप निरीक्षक इ०
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक

रिहवाली

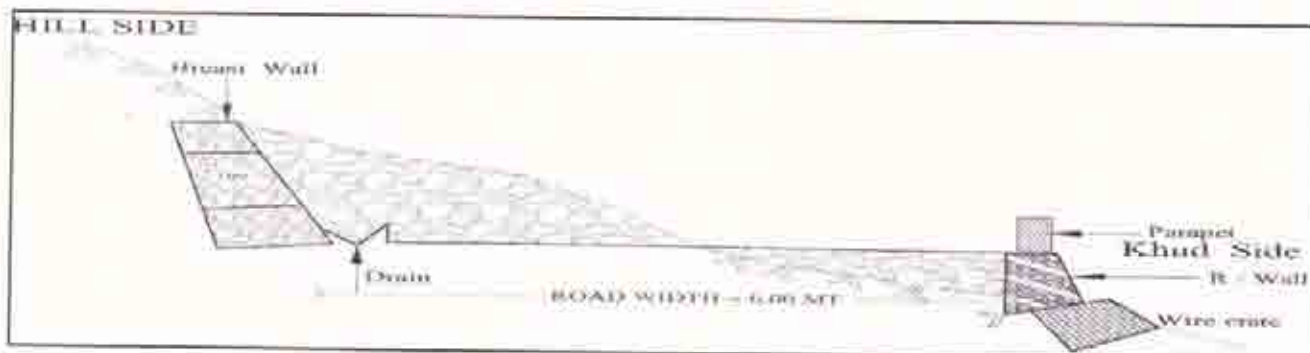
परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.824 है० नाप भूमि की आवश्यकता है, जिसका अर्जन किया जाना है। ग्राम सभा द्वारा निर्माण हेतु नाप भूमि देने के लिये सहमत है। अतः मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली नाप भूमि 4.824 है० वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग के नाम कर अर्जन कर लिया जायेगा।


अधिरासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लम्बाई देहरादून


जिलाधिकारी
District Collector
Dehradun

परियोजना का नाम - जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किगाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।



1	Material received form hill side cutting Material received form hill side cutting		187200.00	Cum
	1x1/2x6x6x10400	187200.00		Cum
	Add 20% For Swell Factor for Soil	37440.00		Cum
	Total	224640.00		
Disposal and use of Material				
2	R.R. Stone Masonry Laid in 1:5	1x1x5000x(0.5+1.5/2)x3	15000.00	Cum
3	R.R. Stone Masonry Laid in Dry	1x1x5000x(0.5+1.5/2)x3	15000.00	Cum
4	Hand Packed Stone Filling	1x1x10000x0.6	6000.00	Cum
5	Construction of Wire Create	1x1x826.88x6.75	5581.44	Cum
6	Making of Edge Stone	1x1x10400x0.016	166.40	Cum
7	Construction of Parapet	1x1x80x0.73	58.40	Cum
8	Construction Of Scupper	1x2x75x16.8	2520.00	Cum
9	Granular sub-base/base/surface	1x1x10400x4.05x0.1	4212.00	Cum
10	Material Used For Filling And Grade Maintaining, Job Pillar, Back Pillars, Reference Pillars		68461.76	Cum
	Total Used		117000.00	Cum
11	Material Disposal By Cartage		70200.00	Cum

SUMMARY OF DABRIES DISPOSAL

S.No	Total Dabries	Material Disposal By Cartage	Reused Material for Road Construction	Total Disposal in Dumping Zone	Balance Dabries
1	187200.00	70200	117000.00	70200.00	0.00

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।



Location & Quantity of debris Disposal

Location of Dumping Yard	Size Of Dumping Yard	Type Of Land	Capacity of dumping yard (Cum)	Name Of Land Owner & Village	Land in Hect	Land Area Being Used For Dumping Yard (Sq.m)	Latitude	Longitude
3/16	100x9x6	Nap Land	5400.00	ATTCHED	0.090	900.00	30°25'2.71"N	78°3'56.11"E
3/37	100x9x6	Nap Land	5400.00		0.090	900.00	30°25'14.41"N	78°3'40.62"E
2/16	100x9x6	Nap Land	5400.00	ATTCHED	0.090	900.00	30°25'24.12"N	78°3'45.09"E
2/32	100x9x6	Nap Land	5400.00		0.090	900.00	30°25'34.97"N	78°3'56.79"E
2/10	100x9x6	Nap Land	5400.00	ATTCHED	0.090	900.00	30°25'30.24"N	78°3'39.73"E
4/25	100x9x6	Nap Land	5400.00		0.090	900.00	30°25'30.24"N	78°3'30.22"E
5/1	100x9x6	Nap Land	5400.00	ATTCHED	0.090	900.00	30°25'24.48"N	78°3'20.99"E
6/4	100x9x6	Nap Land	5400.00		0.090	900.00	30°25'41.49"N	78°2'54.86"E
6/22	100x9x6	Nap Land	5400.00	ATTCHED	0.090	900.00	30°25'46.20"N	78°2'43.36"E
8/1	100x9x6	Nap Land	5400.00	ATTCHED	0.090	900.00	30°25'44.06"N	78°2'32.00"E
8/20	100x9x6	Nap Land	5400.00		0.090	900.00	30°25'36.84"N	78°2'33.04"E
9/4	100x9x6	Nap Land	5400.00	ATTCHED	0.090	900.00	30°25'29.33"N	78°2'32.41"E
9/28	100x9x6	Nap Land	5400.00		0.090	900.00	30°25'25.05"N	78°2'28.64"E
		Total	70200.00		1.170	11700.00		

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मक डम्पिंग प्लान प्रमाण-पत्र

प्रस्तुत प्राक्कलन पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग के निर्माण के समय उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु गठित किया गया है। उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थल चयन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मार्ग में नाप भूमि में चैनेज सं० 1/16, 1/37, 2/16, 2/32,

2/10, 4/25, 5/1, 6/4, 6/22, 8/1, 8/20, 9/4, 9/24 जो की लगभग जिसमें 100x9x6 एवं मी० के डम्पिंग जोन प्रस्तावित है। उक्त स्थल मार्ग के किनारे स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड् साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेंट लगाये जाने का प्रावधान है। कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु अनापत्ति भी प्रदान की गयी है।

अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेंगे। मलवा कहीं भी वृक्ष आछादित एवं जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिवाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिवाई देहरादून

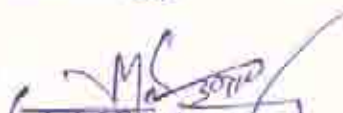

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिवाई देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


उप प्रभाग प्रमाणिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


प्रभाग वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी


वन क्षेत्राधिकारी
। रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग


(MS/21/34)
उप प्रभाग

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मलवा निस्तारण योजना व मानचित्र

परियोजना से उत्पादित मलवों के वैज्ञानिक विधि से उचित निस्तारण की योजना मय मानचित्र व उपचार योजना के प्राक्कलन सहित संलग्न की जा रही है।

क्र०सं०	कार्य मद	संख्या	दर/इकाई	कुल धनराशि
1	घास एवं झाड़ी प्रजातियों का रोपण/बीज रोपण, गड्ढे खुदान, भरण व अन्य कार्य, उचित प्रजातियों का रोपण	संलग्न	संलग्न	10.12
2	वनस्पतिक चैकडैम का निर्माण	संलग्न	संलग्न	112.90
3	क्रेट वायर चैकडैम का निर्माण	संलग्न	संलग्न	
4	आर.आर. ड्राई का निर्माण	संलग्न	संलग्न	
5	दीवाल/अन्य अभियांत्रिक संरचनाओं का निर्माण	संलग्न	संलग्न	
	योग:-			123.02


ह०
प्रमुख वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


ह०
प्रमुख वन अधिकारी
(सजय सिंह)
अधिकांशी अभियन्ता
पी एम जी नरस रावे, मिनाई खण्ड,
6, इन्दिरा नगर, देहरादून


उप प्रभोगी वन अधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग


(महेश कुमार)
30/10

S/No	Item of Work	No	Length	Width	Height	Quantity	Unit
1	Excavation for Structures - Earth work in Excavation foundation for cross drainage structures, retaining walls, breast walls & other similar structures in all types of soils and rocks as met at site with all leads, lifts and disposal of surplus earth as directed by engineer in charge including supply of all material labour, T&P etc. required for proper completion of work in accordance with the MORD specification.						
	1/16	1x1	100	1.50	0.30	45.00	Cum
	1/37	1x1	100	1.50	0.30	45.00	Cum
	2/16	1x1	100	1.50	0.30	45.00	Cum
	2/32	1x1	100	1.50	0.30	45.00	Cum
	2/10	1x1	100	1.50	0.30	45.00	Cum
	4/25	1x1	100	1.50	0.30	45.00	Cum
	5/1	1x1	100	1.50	0.30	45.00	Cum
	6/4	1x1	100	1.50	0.30	45.00	Cum
	6/22	1x1	100	1.50	0.30	45.00	Cum
	8/1	1x1	100	1.50	0.30	45.00	Cum
	8/20	1x1	100	1.50	0.30	45.00	Cum
	9/4	1x1	100	1.50	0.30	45.00	Cum
	9/24	1x1	100	1.50	0.30	45.00	Cum
						585.00	Cum
2	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia G.I. Wire conforming to IS: 280 & IS: 4826 in 100mm x 100mm mesh (woven diagonally) including 10% extra for laps and joints laid with stone boulders weighting not less than 25 Kg each as per drawing and technical specification of MORD and as directed by Engineer in charge.						
	1/16	1x1	100	1.50	1.50	225.00	Cum
	1/37	1x1	100	1.50	1.50	225.00	Cum
	2/16	1x1	100	1.50	1.50	225.00	Cum
	2/32	1x1	100	1.50	1.50	225.00	Cum
	2/10	1x1	100	1.50	1.50	225.00	Cum
	4/25	1x1	100	1.50	1.50	225.00	Cum
	5/1	1x1	100	1.50	1.50	225.00	Cum
	6/4	1x1	100	1.50	1.50	225.00	Cum
	6/22	1x1	100	1.50	1.50	225.00	Cum
	8/1	1x1	100	1.50	1.50	225.00	Cum
	8/20	1x1	100	1.50	1.50	225.00	Cum
	9/4	1x1	100	1.50	1.50	225.00	Cum
	9/24	1x1	100	1.50	1.50	225.00	Cum
						2925.00	Cum
3	Construction of Coolie Walling For Making Of Dumping Yard.	1x1	1300	0.5	0.6	390	Cum
4	Cartage Of Muck from Hill Side Cutting.					70200	Cum

S/No	Reference to MORD Specification	Item of Work	Qty	Unit	Rate	Amount
		HILL SIDE CUTTING				
1	77636,8-4-1	Excavation for Structures - Earth work in Excavation foundation for cross drainage structures, retaining walls, breast walls & other similar structures in all types of soils and rocks as met at site with all leads, lifts and disposal of surplus earth as directed by engineer in charge including supply of all material labour, T&P etc. required for proper completion of work in accordance with the MORD specification.	585.00	Cum	238.80	139698
2	77616, 7-6-2	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia G.I. Wire conforming to IS: 280 & IS: 4826 in 100mm x 100mm mesh (woven diagonally) including 10% extra for laps and joints laid with stone boulders weighting not less than 25 Kg each as per drawing and technical specification of MORD and as directed by Engineer in charge.	2925.00	Cum	2012.90	5887732.5
3	75481 16-6	Construction of Cooli Walling For Making Of Dumping Yard.	390.00	Cum	1164.00	453960
4	75529, 16-28-1	Cartage Of Muck from Hill Side Cutting.	70200.00	Cum	68.50	4808700
				Total		11290091
				Say		112.90


 वन क्षेत्राधिकारी
 मसूरी रेंज
 मसूरी वन प्रभाग

डम्पिंग जोन पर वृक्षारोपण करना

116

क्र०स०	कार्य विवरण		मात्रा	संख्या	दर	धनराशि
1	प्रथम वर्ष	1- दीवालबन्दी 600X1-20X-45मी०	Cum	173.51	121	20994.31
		2-गड्डे खुदान-30X-30X-45	No	2600	347	902200.00
		3- निरीक्षण वटिया बनाना	Rmt	2600	8	20800.00
		4-पौधों की कीमत	No	2600	2.75	7150.00
	द्वितीय वर्ष	5-पौध डुलान कार्य (ट्रक में सड़ाना-उतारना -	No	2600	47%	1222.00
6-1200 बैग पौध सरबोझ द्वारा डुलान 3.5 किमी० दूरी से		No	2600	80%	2080.00	
7-ट्रक से डुलान/भाड़ा 75 कि०मी०		No	2600	3.75%	97.50	
8- रोपण कार्य करना		No	2600	121%	3146.00	
9-बोर्ड बनाना,टाट पल्ली व हथियार तेज करना।		L/S	3466.7		3466.67	
10-गड्डे भरान -30X30X-45		No	2600	62%	1612.00	
पौध की कीमत		No	2600	0.75	1950.00	
11-गड्डो में 2 किलोग्राम प्रति गड्डे के हिसाब से गोबर खाद डालना		Qtl	52	85	4420.00	
01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरवरी तक		7 माह	7	1000	7000.00	
			12	1000	12000.00	
3	तृतीय वर्ष	01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरवरी तक	12 माह	12	1000	12000.00
4	चतुर्थ वर्ष	01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरवरी तक	12 माह	12	1000	12000.00
5	पंचम वर्ष	01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरवरी तक	12 माह	12	1000	12000.00
					योग	1012138.47
						10.12

M. S. 3/2/21
(3/2/21)

रा. प्राणीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

प्रधानीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

नापशुमी में डम्पिंग स्थल के फोटोग्राफ

(117)



Hand
J.P.

सहायक अभियन्ता
पी. एम. जी. एस. वार्ड
सिंचाई खण्ड, देहरादून

अधिशक्ती अभियन्ता
डी. एम. जी. एस. वार्ड
सिंचाई खण्ड, देहरादून

नापभूमि में डम्पिंग स्थल के फोटोग्राफ

(118)



Hand
JE

Hand
सहायक अभियन्ता
पी.एस.जी.एस. मार्ग
मिर्जापुर शहर

Hand
अभियन्ता
ए.एस.जी.एस. मार्ग
मिर्जापुर शहर, देहरादून

नापशुर्मी में डम्पिंग स्थल के फोटोग्राफ

(119)



Handwritten signature
JE

Handwritten signature
सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.सी.
सिवाई साण्ड

Handwritten signature
अधीक्षक अभियन्ता
बी.एस.जी.एस.वाई
विश्व साण्ड, देहरादून

नापभूमि में डम्पिंग स्थल के फोटोग्राफ

(120)



Hand
TE

सहायक अभियन्ता
पी. एम. जी. एस. वार्ड
सिंवाई खण्ड, देहरादून

Cir
अधिसूची अधिकारी
ए. एम. जी. एस. वार्ड
सिंवाई खण्ड, देहरादून

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मलवा निस्तारण व्यय वहन प्रमाण पत्र

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा उसे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


रा. प्रशासक वलाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


प्रशासकीय वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

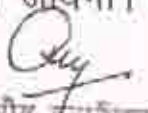
परियोजना का नाम— जनपद देहरादून के सहसपुर ब्लॉक में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत पुरुकुलगांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (कुल लम्बाई -10.40 किमी०) के निर्माण हेतु 3.528 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि-2.345 है० तथा सिविल सोयम वन भूमि- 1.183 है० कुल 3.528 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है"।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 0.4 है। जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति हैक्टर दर रू० 8,45,000=00(रू० आठ लाख पैंतालीस हजार) मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 29,81,160=00(रू० उनतीस लाख इक्कासी हजार एक सौ साठ मात्र) किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


प्रदेशीय वन विभाग
न्यू रोड, देहरादून, उत्तरांचल

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०री० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता नियता निम्नानुसार है:-

1. ईको- क्लास श्रेणी V
2. हरियाली का घनत्व 0.2-0.4
3. एन०पी०वी० की दर प्रति है० रुपये - 8,450.00=00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 3.528 है०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि - 29,81,160=00 (रु० अन्तीस लाख ईकोसी हजार रु० सौ साठ) मात्र,

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

प्रमाणित किया जाता है

प्रमाणित किया जाता है
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रमाणित किया जाता है
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10,400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिंचाई देहरादून



वन-क्षेत्राधिकार
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पुरुकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (10.400कि०मी०) के नव निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के दोनों तरफ सीमांकन पिलर/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

सीमांकन प्राकलन

क्र०सं०	कार्य मद विवरण	लम्बाई (कि०मी०) में	दर प्रति (कि०मी०) में	धनराशी रुपये में
1	वन भूमि के दोनों तरफ 60X60X60 के 1:2:4 सीमेंट प्लास्टर व दो कोट सफेदी के सीमांकन पिलर का निर्माण कार्य	10.400	11640.00	121056
Total				121056

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

उप प्रशासक
देहरादून
मसूरी वन प्रभाग

प्रमाणित प्रशासक
प्रमाणित प्रशासक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग

(महेश शर्मा)
उप प्रशासक

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू
लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

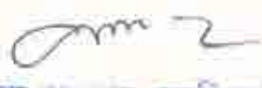
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि शून्य वर्षों की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


वन अधीक्षकारी
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

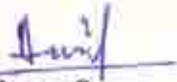

उप वन अधीक्षकारी
देहरादून
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी


प्रमाणित वन अधीक्षकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

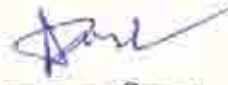
परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिवाई देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिवाई देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड सिवाई देहरादून



वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग



उप प्रधान वन क्षेत्राधिकारी
उप प्रधान वन क्षेत्राधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी



प्रमाणीकृत वन क्षेत्राधिकारी
प्रमाणीकृत वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी



वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग



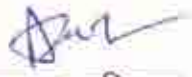
MS-3000
(मसूरी/214)
3020

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृती

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृती (यदि लागू हो) संलग्न की जाय।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

विस्फोटकों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में सड़क नव निर्माण कटिंग के दौरान पड़ने वाले चट्टानों पर कम तीव्रता के विस्फोटकों का प्रयोग संलग्न स्थानों के विवरण के अनुसार किया जायेगा। जिसका निवेदा आमंत्रण/स्वीकृत होने के पश्चात कार्य करने से पूर्व सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त की जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून



अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई देहरादून

परियोजना का नाम— जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि के दुगने सिविल सोयम भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण एवं मार्ग के दोनों आरे सीमांकन हेतु आर०सी०सी० के पिलरों के निर्माण हेतु वांछित धनराशि वन विभाग में जमा करा दी जायेगी।

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, देहरादून